# सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
(पूर्वीचे पुणे विद्यापीठ)

## परिपत्रक

### आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क न घेणेबाबत

या परिपत्रकाद्वारे सर्व संबंधिताना कळविण्यात येते की, शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी पात्र विद्यार्थ्यांच्या हिश्श्याची शिक्षण शुल्काची रक्कम शिक्षण संस्थांनी न घेण्याबाबत तसेच संबंधित पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यास डी.बी.टी. व्दारे अनुज्ञेय शिष्यवृत्तीची रक्कम ही त्यांनी त्यांच्या महाविद्यालयास शुल्कापोटी तात्काळ अदा करण्याबाबत मा. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी पत्र दि. ०३/०७/२०१८ अन्वये सर्व संबंधितांना सुचना दिलेल्या आहेत.

शैक्षणिक वर्ष २०१८–१९ पासुन मान्यताप्राप्त व्यवसायिक व बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीकरीता पालकांची उत्पन्न मर्यादा रू. ६.०० लाखावरून वार्षिक उत्पन्न रू. ८.०० लाख करण्यात आलेली आहे. सोबत शासन पत्राची प्रत जोडत आहे. तसेच पात्र विद्यार्थ्यांना देय असणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम संबंधित महाविद्यालय/संस्थेस अदा करण्याबाबत शासनाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय दि. २१ जून २०१८ ची प्रत सोबत जोडत आहे. तरी शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही व्हावी.

उपकुलसचिव,
शैक्षणिक प्रवेश विभाग

गणेशखिंड पुणे – ७
संदर्भ : शै. प्रवेश/२४१५
दिनांक : १४/०७/२०१८

प्रत:

मा. विभागप्रमुख/संचालक, विद्यापीठ शैक्षणिक विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे.
मा. प्राचार्य/संचालक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालय/संस्था.

Ph.D./M.Phil Unit.......
Inward No.: 8135
Date: 10/7/18

# महाराष्ट्र शासन

## शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण

१७, डॉ. आंबेडकर रोड, पुणे विभाग, पुणे ४११ ००१
Email Id – jdhepune@gmail.com Website – www.jdhepune.info
फोन नं ०२०-२६१२७८३३ / २६०५१६३२ फॅक्स नं. ०२०-२६०५१६३२

जा.क्र. शिसस/उशि/पुवि/शिष्यवृत्ती/२०१८-१९/ 1633 दिनांक : ०३.०७.२०१८

मा. कुलसचिव यांचे कार्यालय
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
(पूर्वीचे पुणे विद्यापीठ)
आवक /क्र.आर/ 3327
दिनांक - 6/7/2018
जावक दिनांक - 10/7/18
विभाग - DY. R (P.G).

प्रति,

१. प्राचार्य,
सर्व शासकीय/अशासकीय अनुदानित /विना अनुदानित
कायम विना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालये,
पुणे, अहमदनगर व नाशिक जिल्हा
तसेच केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली.
२. कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे.
३. कुलसचिव, डेक्कन महाविद्यालय व पदव्युत्तर संस्था, पुणे.
४. कुलसचिव, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे.
५. कुलसचिव, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, पुणे.

**विषय : - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी पात्र विद्यार्थ्यांच्या हिश्श्याची शिक्षण शुल्काची रक्कम शिक्षण संस्थांनी न घेण्याबाबत तसेच संबंधित पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांस डी.बी.टी.द्वारे अनुज्ञेय शिष्यवृत्तीची रक्कम ही त्यांनी त्यांच्या महाविद्यालयास शुल्कापोटी तात्काळ अदा करणेबाबत...**

संदर्भ : - १. मा. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. ३३२/तांशि-४, दि. ०७.१०.२०१७.
२. मा. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०१८/प्र.क्र. ३५/तांशि-४, दि. ३१.०३.२०१८.
३. मा. संचालनालयाचे पत्र क्र. उशिसं/शिष्य-२०१८/ईबीसी/७२१२ दि. २२.०६.२०१८.

उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भ क्र. १ च्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढविण्यात आलेली आहे. तसेच काही नवीन अभ्यासक्रमांचाही समावेश केला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

DY. R. (P.G.)
10/7/18

तसेच संदर्भ क्र. २ च्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून मान्यताप्राप्त व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीकरीता पालकांची उत्पन्न मर्यादा रुपये ६.०० लाखावरुन वार्षिक उत्पन्न रुपये ८.०० लाख करण्यात आलेली आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४२ अन्वये सदर योजने अंतर्गत विद्यार्थ्यांस अनुज्ञेय असणाऱ्या शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची रक्कम ही संबंधित विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी आगाऊ स्वरुपात घेऊ नये व विद्यार्थ्यांची पिळवणूक होणार नाही याची योग्य ती खात्री शैक्षणिक संस्था करेल. तसेच संबंधित पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांस डी.बी.टी. द्वारे अनुज्ञेय शिष्यवृत्तीची रक्कम ही त्यांनी त्यांच्या महाविद्यालयास शुल्कापोटी तात्काळ अदा करावी.

सदरच्या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

(डॉ. विजय नारखेडे)
सहसंचालक, उच्च शिक्षण,
पुणे विभाग, पुणे

प्रत - मा. शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ४११००१ यांना माहितीस्तव सादर.

केंद्र शासन पुरस्कृत भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन १९९८ च्या पत्रकान्वये विहित केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या गटानुसार शासन निर्णय, दि. २१/८/२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या एकूण ६०५ अभ्यासक्रमांत बदल/ सुधारणा करण्याबाबत.

# महाराष्ट्र शासन

**विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग,**

**शासन निर्णय, क्रमांक : ईबीसी २०१७/प्र.क्र.१३/शिक्षण,**

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक : ९ ऑगस्ट, २०१८

वाचा -१. शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१७, दिनांक ७ जून, २०१८, दि.२० जून, २०१८

२. संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.विजाभजसं/शिक्षण/२०१८-१९/ २३/२, दि. २६-७-२०१८

**प्रस्तावना :-**

केंद्र शासन पुरस्कृत भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत, केंद्र शासनाने सन १९९८ च्या पत्रकान्वये विहित केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या गटानुसार एकूण ६०५ अभ्यासक्रम विहित करण्यास शासन निर्णय, दिनांक २१/८/२०१७ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सदर अभ्यासक्रमांत यथास्थिती वाढ किंवा बदल करण्याचे अधिकार शासन वा शासन नियुक्त समितीस राहतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णय, दिनांक २१/८/२०१७ नुसार विहित करण्यात आलेल्या काही अभ्यासक्रमांपैकी काही अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती लागु करणे, अभ्यासक्रमाचे नाव, कालावधी, अभ्यासक्रम व्यावसायिक कि बिगर व्यावसायिक इ. बाबत सुधारणा करणे आवश्यक असलेची बाब निदर्शनास आल्याने सर्व संबंधित नियमांचा अभ्यास करुन शासन निर्णय, दिनांक २१/८/२०१७ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा सूचवून याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी शासन निर्णय, दि. ७/६/२०१८ अन्वये संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीने सादर केलेल्या अंतरिम अहवालास अनुसरुन शासन निर्णय, दि.२० जून, २०१८ अन्वये एकूण ४७६ अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यात आली आहे. सदर समितीने सादर केलेल्या अंतिम अहवालाप्रमाणे ६०५ अभ्यासक्रमातील दुबार अभ्यासक्रम/अक्रीयाशिल अभ्यासक्रम वगळून उर्वरित अभ्यासक्रमांमध्ये आवश्यक ते बदल/सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

**शासन निर्णय :-**

मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील याचिका क्रमांक २४८७/२०१६ च्या अनुरोधाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत, केंद्र शासनाने सन १९९८ च्या पत्रकान्वये विहित केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या गटानुसार शासन निर्णय, दि. २१/८/२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या एकूण ६०५ अभ्यासक्रमांमधील दुबार अभ्यासक्रम वगळून तसेच त्यामध्ये आवश्यक ते बदल/सुधारणा करुन सुधारीत ४७६ अभ्यासक्रमांस शासन निर्णय, दि.२० जून, २०१८ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित अभ्यासक्रमांबाबत संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी सादर केलेल्या अंतिम अहवालाच्या अनुषंगाने दुबार अभ्यासक्रम वगळून तसेच त्यामध्ये आवश्यक ते बदल/सुधारणा करुन सुधारीत केलेल्या या सोबतच्या परिशिष्ठ- “अ” मध्ये नमूद केलेल्या एकूण ६८ अभ्यासक्रमांस या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर अभ्यासक्रमांमध्ये यथास्थिती वाढ किंवा बदल करण्याचे अधिकार शासन वा शासन नियुक्त समितीस राहतील.

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८०९१५३४०४८६२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Bhaurao Raghunath Gavit

Digitally signed by Bhaurao Raghunath Gavit
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=VJNT OBCS SBC Welfare Dept., postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=692454783803b1bf08be0ff2505a01eb578c61edfbb827457be5704f5b440067, serialNumber=950bc6a64b0801087d4b403d7351619557bcd3489ca14b4e0f644bf05a04e89c, cn=Bhaurao Raghunath Gavit
Date: 2018.08.09 15:39:52 +05'30'

**(भा.र.गावित)**

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

सोबत- परिशिष्ठ - अ

**प्रति,**

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा. मंत्री, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव.
४. मा. राज्यमंत्री, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव.
५. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव.
६. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव.
७. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव.

८. मा. मंत्री, कृषी व प.दु.म विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव
९. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
१०.अपर मुख्य सचिव, कृषी व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
११.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१२.अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१३.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१४.प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१५.प्रधान सचिव (प.दु.म.), कृषी व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१६.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन सर्व विभाग.
१७.आयुक्त, समाज कल्याण, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१८.संचालक, विमुक्त जाती, भटक्या जमती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१९.संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२०.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२१.महासंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
२२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर.
२४.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर.
२५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
२६.सर्व प्रादेशिक उपायुक्त/सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग.
२७. निवासी लेक्षा परिक्षा अधिकारी, मुंबई.
२८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
२९. कक्ष अधिकारी, विधानमंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समिती, विधानभवन, मुंबई.
३०.कक्ष अधिकारी, विधानमंडळ इतर मागासवर्ग कल्याण समिती, विधानभवन, मुंबई.
३१.निवड नस्ती (कार्यासन-शिक्षण).

## शासन निर्णय. क्र.ईबीसी 2017/प्र.क्र13/ शिक्षण, दि.09/08/2018 सोबतचे परिशिष्ट-अ

| Sr.No Dir,VJNT | Sr.No | Course Name | Duration (Year) | Duration (Manths) | Whether course is Professional? (YES/NO) | Course Group | Is Scholarship Eligible? (YES/NO) | Is Freeship Eligible? (YES/NO) | As per Central Govt guidelines 1998 It falls under Group "A,B,C,D,E" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | Bachelor of Science (Forestry) | 4 | 48 | NO | D | Yes | Yes | General Courses upto Graduate level |
| 2 | 1527 | Bachelor Of Architecture (B.Arch.) | 5 | 60 | YES | A | Yes | Yes | Engg Degree Level Course |
| 3 | 2 | Bachelor of Technology ( Dairy Tech.) | 4 | 48 | YES | A | Yes | Yes | Engg Degree Level Course |
| 4 | 392 | P.B.B.Sc.Nursing | 3 | 36 | YES | B | Yes | Yes | Degree Course in Nursing |
| 5 | 2193 | Master of Science Dairy Science | 2 | 24 | NO | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |
| 6 | 36 | Master of Science(Agricultural Biotechnology) | 2 | 24 | Yes | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |
| 7 | 4 | M.Sc. Nursing | 2 | 24 | yes | B | Yes | Yes | Post Graduate Course in Nursing |
| 8 | 272 | Bachelor Of Education (Hearing Empered) | 1 | 12 | YES | C | Yes | Yes | Degree Courses In Teacher's Training |
| 9 | 1500 | Diploma in Dairy Science | 2 | 24 | YES | C | Yes | Yes | Diploma in Dairy Science |
| 10 | 1675 | Master of Fine Arts Applied Art | 2 | 24 | YES | C | Yes | Yes | Post Graduate Course Fine Arts Subject |
| 11 | 1961 | ART Teacher Diploma | 2 | 24 | YES | C | Yes | Yes | Degree Diploma Courses in Teacher's Training |
| 12 | | Diploma in live Stock Management & Dairy Producation (Dairy Diploma ) | 3 | 36 | NO | C | Yes | Yes | Diploma Courses in Dairy Development |
| 13 | 2 | Bachelor of Fine Arts in Rekha & Rangkala | 3 | 36 | Yes | C | Yes | Yes | Digree level Course Fine Arts |
| 14 | 3 | Bachelor of Fine Arts in Upayojita Kala | 3 | 36 | Yes | C | Yes | Yes | Digree level Course Fine Arts |
| 15 | 4 | Bachelor of Fine Arts in Shilpakala & Pratima Andh | 3 | 36 | Yes | C | Yes | Yes | Digree level Course Fine Arts |
| 16 | 5 | Bachelor of Fine Arts in Antargat Gruhsajavat | 3 | 36 | Yes | C | Yes | Yes | Digree level Course Fine Arts |
| 17 | 6 | Bachelor of Fine Arts in Matkam | 3 | 36 | Yes | C | Yes | Yes | Digree level Course Fine Arts |
| 18 | 7 | Bachelor of Fine Arts in Vastrakala | 3 | 36 | Yes | C | Yes | Yes | Digree level Course Fine Arts |
| 19 | 8 | Bachelor of Fine Arts in Dhatukam | 3 | 36 | Yes | C | Yes | Yes | Digree level Course Fine Arts |
| 20 | 6 | ( Diploma in Fisharies) Mastya Abhiyabtriki Padvika | 3 | 36 | YES | C | Yes | Yes | Diploma Course in Fisheries |
| 21 | 29 | Master of library & information sceince | 2 | 24 | NO | C | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Library Science |
| 22 | 12 | D.E.L.Ed/D.T.Ed In English | 2 | 24 | YES | C | Yes | Yes | Degree Diploma in Teacher's Training |
| 23 | 13 | D.E.L.Ed/D.T.Ed In Gujrathi | 2 | 24 | YES | C | Yes | Yes | Degree Diploma in Teacher's Training |
| 24 | 14 | D.E.L.Ed/D.T.Ed In In Hindi | 2 | 24 | YES | C | Yes | Yes | Degree Diploma in Teacher's Training |
| 25 | 15 | D.E.L.Ed/D.T.Ed In Kannad | 2 | 24 | YES | C | Yes | Yes | Degree Diploma in Teacher's Training |
| 26 | 16 | D.E.L.Ed/D.T.Ed In Marathi | 2 | 24 | YES | C | Yes | Yes | Degree Diploma in Teacher's Training |
| 27 | 17 | D.E.L.Ed/D.T.Ed In Urdu | 2 | 24 | YES | C | Yes | Yes | Degree Diploma in Teacher's Training |
| 28 | | Diploma Education Special Education (M.R) | 2 | 24 | YES | C | Yes | Yes | Degree Diploma in Teacher's Training |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1557 | B.A(Fine Art) | 3 | 36 | NO | D | Yes | Yes | General Courses upto Graduate level |
| 30 | 17 | Bachelor of Arts Special | 3 | 36 | NO | D | Yes | Yes | General Courses upto Graduate level |
| 31 | 1729 | Bachelor of Science in Food Science Quality Cantrol | 3 | 36 | NO | D | Yes | Yes | General Courses upto Graduate level |
| 32 | | 11th Arts | 1 | 12 | NO | E | Yes | Yes | Classes 11 th & 12 |
| 33 | | 11th Commerce | 1 | 12 | NO | E | Yes | Yes | Classes 11 th & 12 |
| 34 | | 11th Science | 1 | 12 | NO | E | Yes | Yes | Classes 11 th & 12 |
| 35 | | 12th Arts | 1 | 12 | NO | E | Yes | Yes | Classes 11 th & 12 |
| 36 | | 12th Commerce | 1 | 12 | NO | E | Yes | Yes | Classes 11 th & 12 |
| 37 | | 12th Science | 1 | 12 | NO | E | Yes | Yes | Classes 11 th & 12 |
| 38 | | 11th MCVC | 1 | 12 | NO | E | Yes | Yes | Classes 11 th & 12 |
| 39 | | 12th MCVC | 1 | 12 | NO | E | Yes | Yes | Classes 11 th & 12 |
| 40 | 2334 | Bachelor of Science (Horticulture) | 4 | 48 | YES | A | Yes | Yes | Degree Courses in Agriculture |
| 41 | | Bachelor of Fisheries Science | 5 | 60 | YES | A | Yes | Yes | Degree Courses in B.Sc Fisheries |
| 42 | | Bachelor of Science(Agriculture) | 4 | 48 | YES | A | Yes | Yes | Degree Courses in Agriculture |
| 43 | | Bachelor of Business Administration (Agri) | 4 | 48 | YES | A | Yes | Yes | Degree Level Courses in Agriculture |
| 44 | 197 | Master of Science (Agriculture) | 2 | 24 | YES | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |
| 45 | 198 | Master of Science (Forestry) | 2 | 24 | NO | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |
| 46 | 199 | Master of Science (Horticulture) | 2 | 24 | NO | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |
| 47 | 252 | Master of Science (Post Harvest Management) | 2 | 24 | YES | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |
| 48 | | Master of Science (Fisharies) | 2 | 24 | YES | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |
| 49 | | Master of Science (Home Science ) | 2 | 24 | NO | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |
| 50 | 22 | Diploma in Engineering Information Technology (Second Shift) | 3 | 36 | Yes | B | Yes | Yes | Diploma Course in Engineering |
| 51 | 1396 | Bachelor of Science (AgriBioTechnology) | 4 | 48 | YES | A | Yes | Yes | B.Sc Agriculture Degree Level Course |
| 52 | 248 | Bachelor Of Science(Forest Science) | 4 | 48 | YES | A | Yes | Yes | Degree Courses in Agriculture |
| 53 | 247 | Bachelor Of Science(Agriculture) and Bachelor Of Science(Garden Education) | 4 | 48 | YES | A | Yes | Yes | Degree Courses in Agriculture |
| 54 | 249 | Bachelor of Technology (Agricultural Engineering And Technology) | 4 | 48 | YES | A | Yes | Yes | Engg Degree Level Course |
| 55 | 1397 | Bachelor of Science (Gardening) | 4 | 48 | YES | A | Yes | Yes | B.Sc Agriculture Degree Level Course |
| 56 | 251 | Master of Science (AgriBioTechnology) | 2 | 24 | YES | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |
| 57 | 253 | Master Of Science(Agriculture) and Master Of Science(Garden Education) | 2 | 24 | NO | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |
| 58 | 254 | Master Of Science(Forest Science) | 2 | 24 | YES | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 37 | Master of Science(Agriculture Engineering) | 2 | 24 | Yes | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |
| 60 | 38 | Bachelor of Science(Agriculture Engineering) | 3 | 36 | Yes | B | Yes | Yes | Post Graduate Courses in Science Subject |
| 61 | 29 | Bachelor of Engineering in Bio- Informatics | 4 | 48 | YES | A | Yes | Yes | Engg Degree Level Course |
| 62 | 1471 | Marine Engineering | 4 | 48 | YES | A | Yes | Yes | Engg Degree Level Course |
| 63 | | Bachelor of Technology (B.Tech.) in Pharmaceutical Sciences & Technology | 4 | 48 | YES | A | YES | YES | Engg Degree Level Course |
| 64 | 1853 | Bachelor of Technology (Cosmetics) | 4 | **48** | YES | A | Yes | Yes | Engg Degree Level Course |
| 65 | 158 | Diploma in Engineering(Electronics and Video) | 3 | 36 | Yes | B | Yes | Yes | Diploma Course in Engineering |
| 66 | 19 | Diploma in Plastics Mould Technology ( DPMT ) | 3 | 36 | YES | B | Yes | Yes | Diploma Course in Technology |
| 67 | | Agriculture Education Division Non Aided | 3 | 36 | No | B | YES | YES | Diploma Course in Engineering |
| 68 | 19 | Advance Diploma in Hotel & Tourism Management | 3 | 36 | Yes | B | Yes | Yes | Diploma and Higher Courses in Hotel Management Catering Technology |

मा. प्र-कुलगुरु यांचे कार्यालय
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
(पूर्वीचे पुणे विद्यापीठ)
आवक दिनांक: 22 JUN 2018
आवक क्रमांक : पीव्हीसी/ 2422
जावक दिनांक : 23/6/18

**शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील आर्थिकदृष्टया मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्याबाबत उपाय-योजना.**

**महाराष्ट्र शासन**
**उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग**
**शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०८/तांशि-४**

Ph.D./M.Phil Unit.......
Inward No.: 7575
Date: 23/6/18

मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक: २१ जून, २०१८

**संदर्भ** : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक: टीईएम-२०१६/ ५५९/तांशि-४, दिनांक १५/०४/२०१७
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०१७/ ३३२/तांशि-४, दिनांक ७/१०/२०१७
३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र.४६५/तांशि-४, दिनांक १४/०२/२०१८
४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. १८/तंशिसं/न्याप्र/२०१८/१८४, दिनांक १४/०५/२०१८
५) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक इबीसी-२०१७/प्र.क्र.५२४/शिक्षण-१, दिनांक १७/०५/२०१८

DR
PG Admission
22/6/18

**प्रस्तावना:**

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता राबविण्यात येणाऱ्या "राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना" व "डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना" या योजनांतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याकरीता अर्ज करण्यापासून ते रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने विकसित केलेल्या राज्य स्तरीय महाडीबीटी पोर्टलवर करण्यासदंर्भात उपरोक्त संदर्भ क्र.०२ येथील दिनांक १५.०४.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे.

२. तथापि सदर महाडीबीटी पोर्टलवर विद्यार्थ्यांनी अर्जाची नोंद केल्यानंतर त्यांना अदा करावयाचे लाभ प्रदान करण्याबाबतची ऑनलाईन प्रक्रिया महाडीबीटी मार्फत प्रगतीत असल्याने पात्र विद्यार्थ्यांस सदर योजनेअंतर्गत लाभाची रक्कम मिळण्यात अडचण येत होत्या. त्यामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील "राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना" व "डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना" आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शिष्यवृत्तीच्या इतर योजना शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करीता महाडीबीटी प्रणालीतून वगळून त्यांची अंमलबजावणी पूर्वीच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे, परंतु संबंधीत योजनेच्या लाभाची रक्कम विद्यार्थ्याच्या आधारसंलग्नित बँक खात्यात थेट जमा

S.O. H. disease

करण्याबाबत उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक १४/२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

३. परंतु सन २०१७-१८ हे शैक्षणिक वर्ष संपुष्टात आल्याने या वर्षातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपरोक्त शिष्यवृत्तीची रक्कम आता विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात थेट जमा केल्यास व अंतिम सत्रातील विद्यार्थ्यांनी सदर रक्कम महाविद्यालयात जमा न केल्यास शैक्षणिक संस्थांचे नुकसान होणार असल्याने, काही शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या महाविद्यालयातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची रक्कम थेट महाविद्यालयांना अदा करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या मधील रिट याचिका क्र. ४०८/२०१८ या याचिकेवर मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दिनांक १६.०४.२०१८, दिनांक २३.०४.२०१८ व दिनांक २६.०४.२०१८ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये सन २०१७-१८ मधील महाविद्यालयांतील प्रवेशित सामाजिक मागास प्रवर्गातील व आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची रक्कम अदा करण्यासंबंधी उपाययोजना करण्याचे निदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ३/५/२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मागासवर्ग व आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिक्षण व परीक्षा शुल्काची रक्कम प्राप्त होऊ न शकलेल्या महाविद्यालय-शैक्षणिक संस्थांना केवळ सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी काही अटी व शर्तींवर प्रलंबित रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महाविद्यालयांमधील प्रवेशित पात्र विद्यार्थ्यांपैकी लाभ देण्यात आलेले विद्यार्थी वगळून, उर्वरित विद्यार्थ्यांच्या पात्र अभ्यासक्रमांसाठी देय असणारी रक्कम ४ आठवडयात देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील मागास प्रवर्गातील उर्वरित विद्यार्थ्यांची अनुज्ञेय / पात्र अभ्यासक्रमांसाठी देय असणारी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची रक्कम संबंधित महाविद्यालय/ शैक्षणिक संस्थेला ऑफ लाईन पध्दतीने अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून शासन निर्णय, क्रमांक ईबीसी-२०१७/ प्र.क्र.५२४/ शिक्षण-१, दिनांक १७/५/२०१८ निर्गमित करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची व इतर शिष्यवृत्तींची शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील वितरीत करावयाची उर्वरित रक्कम संबंधित शैक्षणिक संस्थांना पूर्वीच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे थेट वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय:**

शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये ज्या महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती व इतर शिष्यवृत्तींची रक्कम अद्याप प्राप्त होऊ शकलेली नाही, अशा महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक संस्थांना, त्यांच्याकडील प्रवेशित पात्र

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांपैकी आज अखेर लाभ अदा केलेले विद्यार्थी वगळून, उर्वरित पात्र विद्यार्थ्यांची देय असणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक संस्थेला पूर्वीच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे थेट स्वरूपात अदा करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे :-

१) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम संस्थेला वितरीत करण्याची सदर कार्यपद्धती केवळ शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करीता लागू राहील.

२) शासनाने विहित केल्याप्रमाणे संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक संस्थेने त्यांच्याकडील प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे परिपूर्ण अर्ज तपासून प्राचार्यांच्या हमीपत्रासह (परिशिष्ट "अ" प्रमाणे ) विभागीय सहसंचालकांना सादर करावेत व सहसंचालकांनी तपासून ते यथास्थिती संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक राहिल. (असे अर्ज प्राचार्यांच्या हमीपत्रासह यापूर्वी सादर केले असतील तर ते पुन्हा सादर करण्याची आवश्यकता नाही.)

३) प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्यांची आधार व्हेरिफिकेशन झाले असल्याचे संबंधीत महाविद्यालयाने प्रमाणित करावे.

४) शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये संबंधीत पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क घेतलेले नसल्याचे हमीपत्र संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक संस्थेने विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांच्याकडे अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.

५) शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक संस्थेने सादर केलेल्या अर्जाची संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तपासणी करुन ज्या विद्यार्थ्यांना लाभ अदा केलेले आहेत, असे विद्यार्थी वगळून उर्वरित पात्र विद्यार्थ्यांची देय होणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम संबंधीत संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक संस्थेस ४ आठवड्यात अदा करावी.

६) शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील परीक्षा शुल्काची रक्कम विद्यार्थ्यांनी संबंधित विद्यापीठे/मंडळे यांच्याकडे जमा केली असल्याने शिष्यवृत्ती स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काची रक्कम संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक संस्थेने विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी.

२. सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांची निर्वाह भत्त्याची रक्कम संबंधीत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यावर पूर्वीच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे थेट जमा करण्यात यावी.

३. प्रस्तुत शासन निर्णयापूर्वी तंत्र शिक्षण संचालनालय व उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या संबंधीत विभागीय सहसंचालकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयातील पात्र विद्यार्थ्यांपैकी सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी लाभ दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशिल तात्काळ संबंधीत संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक संस्थांना अवगत करावा.

४. सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा केली जाईल, ती या शैक्षणिक वर्षात यापूर्वी संबंधीत विद्यार्थी वा महाविद्यालयाला दिलेली नाही, तसेच अशा विद्यार्थ्यांना वा महाविद्यालयांना त्याच कालावधीसाठी ती पुन्हा दिली जाणार नाही. तसेच शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत दुबार लाभ प्रदान होणार नाही, याबाबत संबंधित संचालक व विभागीय सहसंचालकांनी दक्षता घ्यावी.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०६२११५०७३५१६०८ असा आहे. सदरचे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

Sanjay A. Dharurkar

Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and Technical Education Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=837145fd393d6d5c713e94e6da7bc6 bee23011448b7fc64d138630b9c76ae7a2, cn=Sanjay A. Dharurkar
Date: 2018.06.21 18:12:41 +05'30'

(संजय धारुरकर)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

**प्रति,**

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई
४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई
५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
६. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई
७. सचिव (प.दु.म.), कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई
८. सचिव, सामाजिक न्याय व विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
९. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई
१०. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई
११. सर्व सन्मानीय विधानपरिषद व विधानसभा सदस्य

१२. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९,खेरवाडी,अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
१३. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९,खेरवाडी,अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
१४. सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
१५. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
१६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१७. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
१८. आयुक्त, कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१९. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२०. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२१. संचालक, पशु संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
२२. कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे
२३. कुलगुरु,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक
२४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९, खेरवाडी,अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
२५. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (सर्व), (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत)
२६. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सर्व)
२७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी)
२८. सर्व जिल्हाधिकारी
२९. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर
३०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर
३१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
३२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई
३३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
३४. सर्व संबंधित मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक
३५. सह सचिव ( विशि ), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
३६. उप सचिव ( मशि ), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
३७. अवर सचिव (तांशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
३८. कक्ष अधिकारी (तांशि-५/मशि-२/मशि-४), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
३९. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक
४०. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक
४१. निवडनस्ती/तांशि-४.

## "परिशिष्ट -अ"

( शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०८/तांशि-४ दिनांक २१ जून, २०१८ सोबतचे सहपत्र )

शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील शिष्यवृत्तीची अनुज्ञेय रक्कम महाविद्यालयांच्या बँक खात्यावर मिळविण्यासाठी महाविद्यालयाने द्यावयाचे बंधपत्र ( Indemnity Bond )

१) श्री.................................... या अर्जदाराने शिष्यवृत्तीसाठी केलेल्या अर्जात नमूद केलेली सर्व माहिती, त्याच्या कुटूंबाचे सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न, तो सध्या शिकत असलेल्या अभ्यासक्रमाची माहिती, शैक्षणिक माहिती, उत्पन्नाचे विहित प्रमाणपत्र इ. तपशिल त्याच्या मूळ कागदपत्रांवरुन पूर्णपणे तपासण्यात आला असून, अर्जात नमूद केलेला तपशिल बरोबर आहे. त्यानुसार,मी,श्री./श्रीमती................................................................................................. .... (प्राचार्याचे नाव) ...................................... या शैक्षणिक संस्थेच्या महाविद्यालयात प्राचार्य म्हणून कार्यरत असून, त्या अधिकारात उपरोक्त विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याकरीता शिफारस करीत आहे.

२) मी निम्नस्वाक्षरीत हमी देतो की, अर्जदाराची रक्कम जी महाविद्यालयाकडे/तंत्रनिकेतनाकडे सुपूर्द केलेली आहे, ती ज्या प्रयोजनासाठी दिलेली आहे, त्या विशिष्ट प्रयोजनासाठी त्याचा विनियोग करीन आणि त्याबाबीचे हिशोब ज्या प्राधिकाऱ्याने ही तरतूद सुपूर्द केलेली आहे, त्या प्राधिकाऱ्याकडे नियमितपणे पाठवेन. विद्यार्थी महाविद्यालय/तंत्रनिकेतन सोडून गेल्यास किंवा त्याने अभ्यासक्रमात बदल केल्यास किंवा अन्य कोणत्याही अनियिमिततेमुळे त्याचा प्रवेश रद्द झाल्यास, त्यास मंजूर करण्यात आलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम सरकारी लेख्यात जमा झाल्याशिवाय त्याचा महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला जारी करणार नाही. त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्राचार्य या नात्याने माझ्याकडे राहिल.

३) विद्यार्थ्याच्या अर्जामध्ये नमूद केलेली माहिती, अर्जदाराने दिलेल्या मूळ कागदपत्राचे आधारे मी तपासलेली आहे. तसेच अर्जदरानी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रती तपासलेल्या असून सादर केलेल्या कागदपत्रामध्ये कोणताही बदल, खाडाखोड, दुरुस्ती वा फेरफार आढळून आलेला नाही.

४) मी निम्नस्वाक्षरीत प्रमाणित करतो की, अर्जदार हा आमचे महाविद्यालय/तंत्रनिकेतनमधील नियमित विद्यार्थी आहे. त्याने कोणत्याही अन्य महाविद्यालय/तंत्रनिकेतनामध्ये प्रवेश घेतलेला नाही, तसेच त्याची सरासरी उपस्थिती निर्धारित केल्याप्रमाणे आहे. तसेच सदर विद्यार्थ्याकडून महाविद्यालय/तंत्रनिकेतनाने कोणतीही शिक्षण शुल्कापोटी रक्कम घेतलेली नाही.

५) आमचे महाविद्यालय/तंत्रनिकेतन हे मान्यता प्राप्त आहे, ते अनुदानित / विनाअनुदानित आहे, मान्य झालेले अभ्यासक्रम हे संबंधीत सक्षम प्राधिकाऱ्यानी मान्यता दिलेले आहेत. प्रत्येक अभ्यासक्रमाची प्रवेशक्षमता ही सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या मान्यतेनुसारच असून, त्या प्रवेशक्षमतेच्या अधिन राहून

पात्र विद्यार्थ्याचे अर्ज संबंधीत सक्षम कार्यालयास पाठविलेले आहेत. त्यांचे शिक्षण शुल्क संबंधीत सक्षम प्राधिकरण/विद्यापीठ यांनी मान्य केल्याप्रमाणेच असून ती अवास्तव किंवा अवाजवी नाहीत. शासन/ विद्यापीठ/ सक्षम प्राधिकारी यांचे प्रचलित नियम व अटी यांचे पालन करुन व त्यामधील नियम, अटी व शर्तीच्या अधिन राहून विद्यार्थ्याचा अर्ज योग्य व नियमानुसार असून, त्याची शिष्यवृत्तीची देय रक्कम, महाविद्यालय/तंत्रनिकेतनाच्या बँक खात्यावर जमा होणेसाठी शिफारस करण्यात येत आहे. त्यामध्ये अनियमितता, उणीवा व गैरप्रकार झाल्यास त्याची सर्व जबाबदारी ही महाविद्यालय/तंत्रनिकेनाची असेल.

जावक क्रमांक ....................

दिनांक .......................

ठिकाण ...........................

प्राचार्याची स्वाक्षरी .................

संपूर्ण नाव ............................

महाविद्यालयाचा शिक्का

**डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता विस्तारीत योजना-उत्पन्न मर्यादा रुपये ८.०० लाखापर्यंत वाढविणेबाबत.**

**महाराष्ट्र शासन**
**उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग**
**शासन निर्णय: संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८५/तांशि-४**
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक :- १८ जून, २०१८

**वाचा :** १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५०१/तांशि-४, दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१६
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, दिनांक ७ ऑक्टोबर,२०१७
३) शासन शुध्दिपत्र, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१७
४) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.४०७/तांशि-४, दिनांक २२ फेब्रुवारी,२०१८
५) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र. टिईएम-२०१८/प्र.क्र.३५/तांशि-४, दिनांक ३१ मार्च,२०१८

**प्रस्तावना :-**

राज्यातील मान्यताप्राप्त शासकीय, शासन अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतनांमध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या निवडक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या, ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी किंवा नोंदणीकृत मजूर आहेत अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास व्यत्यय येऊ नये यासाठी शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ पासून कार्यान्वित केली आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ७ ऑक्टोबर,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये काही नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश या योजनेकरीता करण्यात आला. तसेच याच शासन निर्णयाव्दारे ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी किंवा नोंदणीकृत मजूर नाहीत, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांचे (दोन्ही पालकांचे एकत्रित) वार्षिक उत्पन्न रुपये १.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसह बिगर व्यावसायिक आणि उच्च माध्यमिक (इयत्ता ११ वी / १२ वी) अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक वर्षातील १० महिन्यांकरीता अनुक्रमे रुपये ३०००/-, रुपये २०००/- व रुपये १०००/-याप्रमाणे निर्वाहभत्ता मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक २२ फेब्रुवारी,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्प

भूधारक शेतकरी/ नोंदणीकृत मजूर नाहीत, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे (दोन्ही पालकांचे एकत्रित) वार्षिक उत्पन्न रुपये ६.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरीता महानगरासाठी रुपये १००००/- व महानगरे वगळून व इतर शहरे व ग्रामीण भागासाठी रुपये ८०००/- प्रतिवर्ष इतका निर्वाहभत्ता शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. तसेच या शासन निर्णयाव्दारे रुपये १.०० लाख ते रुपये ६.०० लाख उत्पन्न मर्यादा असलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता प्रत्येक जिल्हयासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांची कमाल संख्या ५०० इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

३. राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीसाठी संदर्भ क्र.५ येथील दिनांक ३१/०३/२०१८ च्या शासन निर्णयाव्दारे पालकांची उत्पन्न मर्यादा रुपये ६.०० लाखावरुन वार्षिक रुपये ८.०० लाख इतकी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मा.मंत्री, महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने केलेल्या सूचनेस अनुसरुन राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाहभत्ता विस्तारीत योजना या दोन्ही योजनेमधील पालकांची उत्पन्न मर्यादा एकरुप असण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यामुळे रुपये ८.०० लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी ( अल्पभूधारक शेतकरी / नोंदणीकृत मजूर वगळून ) डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता विस्तारीत योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय :-**

राज्यातील मान्यताप्राप्त शासकीय, शासन अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतनांमध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे ( दोन्ही पालकांचे एकत्रित) वार्षिक उत्पन्न रुपये ८.०० लाखापर्यंत आहे, अशा विद्यार्थ्यांकरीता डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाहभत्ता विस्तारीत योजना शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून लागू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. या या निर्णयामुळे रुपये १.०० लाख ते रुपये ८.०० लाख उत्पन्न मर्यादा असलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता प्रत्येक जिल्हयासाठी निश्चित करण्यात आलेली लाभार्थी विद्यार्थ्यांची कमाल ५०० संख्या कायम राहिल, त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या योजनेसाठी यापूर्वीच्या विविध शासन निर्णयातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील.

२. याबाबत पुढे असे स्पष्ट करण्यात येते की, डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाहभत्ता योजना जे विद्यार्थी विविध विहित अभ्यासक्रमांसाठी बिगर आरक्षित प्रवर्गातून प्रवेश घेतील व विविध शासन निर्णयाव्दारे विहित केल्याप्रमाणे सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करतील अशा विद्यार्थ्यांकरीता लागू करण्यात आलेली आहे.

३. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४५९/१८, व्यय-५, दिनांक १५ जून, २०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०६१८१६३३४७५९०८ असा असून सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

**( संजय औ.धारुरकर )**
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

**प्रति,**

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई
२. मा.मुख्य मंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई
४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
५. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई
६. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई
७. सचिव (प.दु.म.), कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई
८. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई
९. सचिव, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. व वि.मा.प्र. कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१०. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
११. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई
१२. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई
१३. सर्व सन्मानीय विधानपरिषद व विधानसभा सदस्य
१४. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
१५. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
१६. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

१७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१८. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
१९. आयुक्त, कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
२०. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२१. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२२. संचालक, पशु संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
२३. कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे
२४. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव, जि.रायगङ
२५. कुलगुरु,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक
२६. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९, खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
२७. सहसंचालक,तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (सर्व), (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत)
२८. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सर्व)
२९. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई प्रसिध्दीसाठी)
३०. सर्व जिल्हाधिकारी
३१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर
३२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर
३३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
३४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई
३५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
३६. मा.मंत्री, महसूल, मदत व पुनर्वसन,सार्वजनिक बांधकाम (सा.उ.वगळून) यांचे खाजगी सचिव
३७. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी
३८. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव
३९. मा.मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास यांचे खाजगी सचिव
४०. मा.मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग यांचे खाजगी सचिव
४१. मा.मंत्री, कामगार, भूकंप पुनर्वसन, कौशल्य विकास, माजी सैनिकांचे कल्याण यांचे खाजगी सचिव मा.मंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव
४३. मा.मंत्री, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय यांचे खाजगी सचिव
४४. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव
४५. सहसचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई

४६. उप सचिव (मशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई

४७. अवर सचिव (तांशि-३, विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई

४८. कक्ष अधिकारी (मशि-२/मशि-४/तांशि-५/तांशि-६/साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई

४९. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक

५०. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक

५१. निवडनस्ती/तांशि-४

**मान्यताप्राप्त व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीसाठी पालकांची उत्पन्न मर्यादा रुपये ६.०० लाखावरुन वार्षिक रुपये ८.०० लाख करण्याबाबत.**

**महाराष्ट्र शासन**
**उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग**
**शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०१८/प्र.क्र.३५/तांशि-४**
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८

**संदर्भ** : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक टीईएम-२०१६/ प्र.क्र.५०१/तांशि-४, दिनांक १३/१०/२०१६
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र.३३२/तांशि-४, दिनांक ०७/१०/२०१७
३) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, क्रमांक ईबीसी-२०१७/प्र.क्र.२७/शिक्षण, दिनांक ०१/०१/२०१८

**प्रस्तावना :-**

राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून रुपये ६.०० लाखावरुन रुपये ८.०० लाख करण्यास विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाने संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्याच धर्तीवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये ६.०० लाखावरुन रुपये ८.०० लाख इतकी करण्यात यावी, असा निर्णय मराठा मोर्चाच्या मागण्यांसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिनांक ०२/०१/२०१८ च्या बैठकीत घेतला आहे. तसेच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दिनांक १४/०२/२०१८ च्या बैठकीत समितीने दिलेल्या निदेशानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग या सर्व विभागांतर्गत असलेल्या मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या

दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रस्तुतची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये ६.०० लाखावरुन रुपये ८.०० लाख इतकी करण्यासाठी एकत्रित प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्या अखत्यारितील मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांना विहित पध्दतीने / केंद्रिभूत प्रवेश पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये ६.०० लाखावरुन रुपये ८.०० लाख करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय :-**

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्या अखत्यारितील मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश पध्दतीने अथवा विहित पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या (व्यवस्थापन कोटा / संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून) आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या दोन्ही पालकांची एकत्रित वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये ६.०० लाखावरुन रुपये ८.०० लाख करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

२. या योजनेचा लाभ शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून लागू राहिल.

३. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, दिनांक ७/१०/२०१७ यामधील अटी व शर्ती याकरीता लागू राहतील.

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. २४१/१८/व्यय-५, दिनांक २६.०२.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११४४७०२८८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Madan
Maruti Morve

Digitally signed by Madan Maruti Morve
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And Technical Education Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=2efbf911362ce57b361b7f36471cb98eb98ed47e7de8b061211b9d7e6e0fc2e3, cn=Madan Maruti Morve
Date: 2018.04.02 13:08:41 +05'30'

**(म. मा. मोरवे)**
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

**प्रति,**

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई
५. अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
७. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई
८. सचिव (प.दु.म.) कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई
९. सचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१०. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई
११. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई
१२. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद व विधानसभा सदस्य
१३. मा.मंत्री, महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव.
१४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव
१५. मा.मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव
१६. मा.मंत्री, कृषी यांचे खाजगी सचिव
१७. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव
१८. मा.मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग यांचे खाजगी सचिव
१९. मा.मंत्री, कामगार, भूकंप पुनर्वसन, कौशल्य विकास, माजी सैनिकांचे कल्याण यांचे खाजगी सचिव
२०. मा.मंत्री, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय यांचे खाजगी सचिव
२१. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव
२२. मा.राज्यमंत्री, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय यांचे खाजगी सचिव
२३. मा.राज्यमंत्री, कृषी यांचे खाजगी सचिव
२४. मा.राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव
२५. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९, खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
२६. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
२७. सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
२८. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२९. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
३०. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
३१. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
३२. आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
३३. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
३४. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

३५. संचालक, पशु संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
३६. कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे
३७. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव, जि.रायगड
३८. कुलगुरु,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक
३९. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
४०. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सर्व), (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत)
४१. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सर्व)
४२. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी)
४३. सर्व जिल्हाधिकारी
४४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर
४५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर
४६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
४७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई
४८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
४९. सह सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई.
५०. उप सचिव (मशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
५१. अवर सचिव (तांशि-३/ विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
५२. कक्ष अधिकारी (मशि-२/मशि-४/तांशि-५/तांशि-६/साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
५३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने.
५४. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक
५५. निवडनस्ती/तांशि-४.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत आर्थिकदृटया दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढविणे व नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्याबाबत.

## महाराष्ट्र शासन

**उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,**
**शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४**
**मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग,**
**हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२.**
**दिनांक: ७ ऑक्टोबर, २०१७**

**संदर्भ:** १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०१५/प्र.क्र.२१९/ तांशि-४, दिनांक ३१/०३/२०१६

२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५०१/ तांशि-४, दिनांक १३/१०/२०१६

३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०१६/ प्र.क्र.५५९/ तांशि-४, दिनांक १५/०४/२०१७

४) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०१६/ प्र.क्र.५५९/ तांशि-४, दिनांक २१/०६/२०१७

५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०१६/ प्र.क्र.५५९/ तांशि-४, दिनांक ११/०८/२०१७

६) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, शासन निर्णय, क्र.ईबीसी-२०१७/प्र.क्र.१३/शिक्षण, दि.२१/८/२०१७

७) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५५९/ तांशि-४, दिनांक १३/०९/२०१७

८) शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण) परिपत्रक क्रमांक उशिसं/२००४-०५/ ईबीसी/१४जी, दिनांक १७.२.२००५

**प्रस्तावना :**

राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत वरील संदर्भ क्र.२, ४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या खालील निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी विहित अटी व शर्तीनुसार शासकीय व शासन अनुदानित (शासकीय अभिमत विद्यापीठांसह) व खाजगी विनाअनुदानित (खाजगी

अभिमत/स्वयं अर्थ सहाय्य विद्यापीठे वगळून) महाविद्यालये/तंत्रनिकेतनांमध्ये शासनाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रीयेद्वारे प्रवेश घेणा-या आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे (दोन्ही पालकांचे एकत्रित) वार्षिक उत्पन्न रु. ६ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना (व्यवस्थापन कोटयातील प्रवेशित विद्यार्थी वगळून ) शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के इतकी शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

| अ.क्र | विभागाचे नांव | अभ्यासक्रम |
|---|---|---|
| १. | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | **पदविका:** अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी<br>**पदवी:** अभियांत्रिकी,औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी, वास्तुशास्त्र.<br>**पदव्युत्तर पदवी:** मास्टर ऑफ बिझिनेस मॅनेजमेंट / मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर अप्लिकेशन |
| २. | वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग | **पदवी:**एम.बी.बी.एस.,बी.डी.एस.,बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस.,बी.यु.एम.एस.,बी.पी.टी.एच., बी.ओ.टी.एच. व नर्सिंग |
| ३. | कृषी विभाग | **पदविका :**कृषी<br>**पदवी :** कृषी व संलग्न विषय, फलोत्पादन, जैव तंत्रज्ञान, अन्न तंत्रज्ञान, शेती व्यवस्थापन<br>**पदव्युत्तर पदवी :** कृषी व संलग्न विषय |
| ४. | पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग | **पदविका:** दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन, पशुसंवर्धन व्यवस्थापन.<br>**पदवी:** प्राणिशास्त्र व पशुसंवर्धन, दुग्धतंत्रज्ञान, मत्स्यविज्ञान<br>**पदव्युत्तर पदवी:** प्राणिशास्त्र |

२) वरील पैकी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील एम.बी.बी.एस. (बॅचलर ऑफ मेडिसिन अँड बॅचलर ऑफ सर्जरी) व बी.डी.एस. (बॅचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) या अभ्यासक्रमांसाठी शासकीय, शासन अनुदानित आणि खाजगी विनाअनुदानित (खाजगी अभिमत विद्यापीठे व स्वयंअर्थ सहाय्य विद्यापीठे वगळून ) महाविद्यालयांमध्ये शासनाच्या सक्षम प्राधिका-यामार्फत केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रीयेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या व सध्या विविध शैक्षणिक वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी (व्यवस्थापन कोटयातील प्रवेश वगळून) ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना (व्यवस्थापन कोटयातील प्रवेशित विद्यार्थी वगळून ) संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के इतकी शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

तसेच या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाख पेक्षा जास्त व रु. ६ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना (व्यवस्थापन कोटयातील प्रवेशित विद्यार्थी वगळून) त्यांच्या प्रवेशित अभ्यासक्रमासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाद्वारे निश्चित केलेले शैक्षणिक शुल्क महाविद्यालयास देण्यासाठी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बँकेकडून शैक्षणिक कर्ज घेतले असल्यास त्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम ही राष्ट्रीयकृत बँकेकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाच्या मर्यादेपर्यन्तची रक्कम ही वरील संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये अनुदान स्वरुपात शासनाकडून संबंधित बँकेस अदा करण्यात येते.

३) शासनाने वरील संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये उपरोक्त नमूद "राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना" अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणारी लाभाची रक्कम ही थेट स्वरुपात लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्नीत बँक खात्यात संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून जमा करण्याचा देखील शासनाने यापूर्वी निर्णय घेतला आहे.

४) शासनाने वरील संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक २१/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या यादीतील विविध व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपैकी उपरोक्त प्रचलित राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांकरीता या सोबतच्या परिशिष्ट "अ" मधील नमूद अभ्यासक्रमांना सध्या शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या यादीतील काही अभ्यासक्रम सद्य:स्थितीत राज्यातील अकृषी विद्यापीठात अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले असून याची यादी या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट "क" मध्ये नमूद केली आहे. याशिवाय संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेले जे अभ्यासक्रम सध्या विविध महाविद्यालयात कार्यान्वित आहेत, परंतु यापैकी ज्या अभ्यासक्रमांना आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याकरीता असलेल्या प्रचलित योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येत नाही, अशा अभ्यासक्रमांची यादी परिशिष्ट "ब" मध्ये नमूद केली आहे. सबब, प्रचलित योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना सध्या ज्या अभ्यासक्रमांसाठी लाभ देण्यात येतो अशा अभ्यासक्रमांशिवाय वरील परिशिष्ट "ब" येथील अभ्यासक्रमांसाठी देखील या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी या अभ्यासक्रमांचाही नव्याने प्रचलित योजनेत समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

५) तसेच संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदानावरील-विनाअनुदानित) महाविद्यालयांमधील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ही रुपये २.५० लाख इतकी केली आहे. सध्या शासकीय, अशासकीय अनुदानित व अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदानावरील-विना अनुदानित) महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रमासाठी सदरची उत्पन्न मर्यादा असणाऱ्या या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क आकारण्यात येत नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना अप्रत्यक्षरित्या शासनाकडून शिक्षण शुल्काच्या १०० टक्के इतकी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. तथापि, सदरची वरील वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ही रुपये २.५० लाख वरुन रुपये ६.०० लाख इतकी करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

६) तसेच सध्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील केवळ शासकीय व अशासकीय अनुदानित व अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदानावरील-विना अनुदानित) महाविद्यालयातील व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठीच प्रचलित शिष्यवृत्ती मर्यादीत असून त्याची व्याप्ती वाढवून शासकीय/अशासकीय अनुदानित व अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदानावरील - विना अनुदानित) संस्थांशिवाय कायम विना अनुदानित महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांकरीताही लागू करण्याबाबत शासन स्तरावर विचार सुरु होता.

७) याशिवाय नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या अभ्यासक्रमांपैकी उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शासकीय/अशासकीय अनुदानित व अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदानावरील-विना अनुदानित) महाविद्यालये व अकृषी विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांतर्गत असलेल्या उपकेंद्रांमधील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काच्या १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्याची बाब विचाराधीन होती. तसेच उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शासकीय / अनुदानित महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे त्यांना प्रचलित पध्दतीनुसार शिक्षण शुल्काच्या १०० टक्के व ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख पेक्षा जास्त व रु.६.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांना शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के शिष्यवृत्ती देण्याची बाब विचाराधीन होती. तसेच उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.६.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करणे देखील शासनाच्या विचाराधीन होते.

८) वरील संदर्भ क्र. ८ येथील परिपत्रकातील तरतूदीनुसार सध्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील अनुदानित महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात येत असल्याने या संस्थांना रु. १७०/- (रु. १२५/- प्रयोगशाळा शुल्क व रु. ४५/- इतर शुल्क) प्रति विद्यार्थी इतकी प्रतिपूर्ती करण्यात येते. तसेच टप्पा अनुदानावरील उपरोक्त दराने प्रतिपूर्तीशिवाय पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रति विद्यार्थी अनुक्रमे रु. ४००/- व रु. ८००/- प्रति विद्यार्थी इतकी प्रतिपूर्ती शासनाकडून करण्यात येते. परंतु वरील परिच्छेदांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रस्तावित सुधारित दराने शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यास थेट लाभ स्वरुपात हस्तांतरण (DBT) द्वारे यापुढे देण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वरीलप्रमाणे अनुदानित/टप्पा अनुदानावरील संस्थांना सध्या देण्यात येणारी प्रतिपूर्ती बंद करण्याचे विचाराधीन होते.

९) तसेच आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील सर्व विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेकरीता संबंधित विद्यापीठ, तंत्र शिक्षण मंडळ, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, इत्यादींकडून आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यन्तचे व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेकरीता १०० टक्के परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याची बाब विचाराधीन होती.

**१०)** शासनाने वरील संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत निर्धारित केलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या अल्प भूधारक शेतकरी आणि नोंदणीकृत मजूरांच्या पाल्यांकरीता डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ पासून लागू केली आहे. तथापि, नव्याने वरीलप्रमाणे समाविष्ट होणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा देखील समावेश हा डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत करण्याचा व त्यानुसार या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या अल्प भूधारक शेतकरी आणि नोंदणीकृत मजूरांच्या पाल्यांना डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून देण्याचे विचाराधीन होते.

११) तसेच ज्या विद्यार्थ्यांचे पाल्य अल्प भूधारक शेतकरी / नोंदणीकृत मजूर नाहीत, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांचे कुटूंबाचे (दोन्ही पालकांचे एकत्रित) वार्षिक उत्पन्न रु.१.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना प्रचलित व नव्याने समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसह बिगर व्यावसायिक आणि उच्च माध्यमिक (इयत्ता ११ वी/ १२ वी) अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक वर्षातील १० महिन्याकरीता शिक्षणासाठी निर्वाह भत्ता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

१२) यानुसार मंत्रिमंडळाने दिनांक १०/०८/२०१७ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार वित्त विभागाच्या सहमतीने सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे प्रस्तावित होते.

**शासन निर्णय:**

प्रचलित राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांकरीता या सोबतच्या परिशिष्ट "अ" मधील नमूद अभ्यासक्रमांना सध्या शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या यादीतील काही अभ्यासक्रम सद्य:स्थितीत अकृषी विद्यापीठात अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले असून याची यादी या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट "क" मध्ये नमूद केली आहे. याशिवाय संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेले जे अभ्यासक्रम सध्या विविध महाविद्यालये/विद्यापीठात कार्यान्वित आहेत, परंतु यापैकी ज्या अभ्यासक्रमांना आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता असलेल्या प्रचलित योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येत नाही, अशा अभ्यासक्रमांची यादी परिशिष्ट "ब" मध्ये नमूद केली आहे. सबब, प्रचलित योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना सध्या ज्या अभ्यासक्रमांसाठी लाभ देण्यात येतो अशा अभ्यासक्रमांशिवाय परिशिष्ट "ब" येथील अभ्यासक्रमांचाही नव्याने प्रचलित योजनेत समावेश करण्यात येत आहे.

२) या विभागांतर्गत येणाऱ्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" मधील अभ्यासक्रमांसाठी-

(अ) सध्या केवळ शासकीय / अशासकीय अनुदानित / अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान - विनाअनुदानित) महाविद्यालयातील व अकृषी विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांतर्गत असलेल्या उपकेंद्रांमधील व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच मर्यादित असलेल्या शिष्यवृत्तीची व्याप्ती वाढवून शासकीय / अशासकीय अनुदानित / अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान - विनाअनुदानित) महाविद्यालये व अकृषी विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांतर्गत असलेल्या उपकेंद्रांशिवाय, कायम विना अनुदानित महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांकरीताही (खाजगी अभिमत विद्यापीठे/ स्वयं अर्थसहाय्यित खाजगी विद्यापीठे वगळून) सदर शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात येत आहे.

(ब) शासकीय / अशासकीय अनुदानित / अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान -विनाअनुदानित) कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये व अकृषी विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांतर्गत असलेल्या उपकेंद्रांमधील (खाजगी अभिमत विद्यापीठे/ स्वयं अर्थसहाय्यित खाजगी विद्यापीठे वगळून) व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल

घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याच्या कुटूंबाचे (दोन्ही पालकांचे एकत्रित) वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ही रु. २.५० लाख वरुन रु. ६.०० लाख करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(क) उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील वरील परिच्छेद-१ येथे नमूद केल्याप्रमाणे प्रचलित तसेच नव्याने समाविष्ट होणा-या अभ्यासक्रमांकरीता खालीलप्रमाणे लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे -

(१) शासकीय / अशासकीय अनुदानित / अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान - विनाअनुदानित)/ कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये व अकृषी विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांतर्गत असलेल्या उपकेंद्रांमध्ये (खाजगी अभिमत विद्यापीठे/ स्वयं अर्थसहाय्यित खाजगी विद्यापीठे वगळून) बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी विहित केलेल्या प्रवेश प्रक्रियेचा अवलंब करुन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याने निश्चित केल्याप्रमाणे आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्काच्या १०० टक्के मर्यादेपर्यंतचे शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात देय राहील.

(२) मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शासकीय/ अशासकीय अनुदानित अभ्यासक्रमांना शासनाने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार व व्यवस्थापन कोटा असल्यास या कोटयातील प्रवेश वगळून उर्वरित जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ज्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याने निश्चित केल्याप्रमाणे आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्काच्या १०० टक्के शिष्यवृत्ती देय राहील. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख पेक्षा जास्त व रु.६.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे त्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याने निश्चित केल्याप्रमाणे आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंतचे शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात देय राहील.

(३) तसेच मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान - विनाअनुदानित) व कायम विना अनुदानित अभ्यासक्रमांना शासनाने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.६.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याने निश्चित केल्याप्रमाणे आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंतचे शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात देय राहील.

(४) उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत अभ्यासक्रमांकरीता या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती पुढीलप्रमाणे देय राहील :-

| उत्पन्न मर्यादा | शुल्क प्रकार | अभ्यासक्रम | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शासकीय | अशासकीय अनुदानित | अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदानित - विनाअनुदानित) | कायम विनाअनुदानित |
| व्यावसायिक अभ्यासक्रम | | | | | |
| रु.२.५० लाख पर्यंत | शिक्षण शुल्क | १००% | १००% | ५०% | ५०% |
| रु.२.५० लाख ते रु.६ लाखापर्यंत | शिक्षण शुल्क | ५०% | ५०% | ५०% | ५०% |
| बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम | | | | | |
| रु.६ लाखापर्यंत | शिक्षण शुल्क | १००% | १००% | १००% | १००% |

३) उपरोक्तप्रमाणे उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील अभ्यासक्रमांकरीता प्रस्तावित सुधारित दराने शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यास यापुढे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे देण्यात येणार असल्याने यापूर्वीची वरील संदर्भ क्र.८ येथील परिपत्रकानुसार प्रचलित उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील शिष्यवृत्ती योजना अधिक्रमित करण्यात येत असून शासकीय / अशासकीय अनुदानित / अंशत: अनुदानित (विनाअनुदानित - टप्पा अनुदान) महाविद्यालयांना रु. १२५/- प्रयोगशाळा शुल्क (विज्ञान विधी शाखेसाठी) व रु. ४५/- (ग्रंथालय शुल्क रु.१०/-, जिमखाना शुल्क रु.२०/- व इतर शुल्क रु.१५/-) प्रति ईबीसी पात्रताधारक विद्यार्थ्याकरीता देण्यात येणारी प्रतिपूर्ती यापुढे देय राहणार नाही. तसेच या प्रतिपूर्तीशिवाय अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान-विनाअनुदानित) महाविद्यालयांना प्रति ईबीसी पात्रताधारक विद्यार्थ्यांकरीता पदवी (रु.४००/-) व पदव्युत्तर पदवी (रु.८००/-) देण्यात येणारी शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्तीही यापुढे देय राहणार नाही.

४) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील तंत्र शिक्षण संचालनालय व कला संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय, शासन अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/शासकीय विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रांमधील (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित खाजगी विद्यापीठे वगळून) मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे (व्यवस्थापन कोटयातील / संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.६.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील

विद्यार्थ्यांकडून शुल्क नियामक प्राधिकरणाव्दारे निश्चित केल्याप्रमाणे आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंतचे शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येईल. तसेच या संचालनालयाच्या अखत्यारितील बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शासनाने विहित केलेल्या प्रवेश प्रक्रीयेचा अवलंब करुन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून सक्षम प्राधिकरणाने निश्चित केल्याप्रमाणे आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्काच्या १०० टक्के मर्यादेपर्यंतचे शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येईल.

५) याचप्रमाणे अन्य प्रशासकीय विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय, शासन अनुदानित, अंशत: अनुदानित (अनुदानाच्या टप्प्यावरील) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / शासकीय विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रांमधील (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित खाजगी विद्यापीठे वगळून) मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपैकी एम.बी.बी.एस. (बॅचलर ऑफ मेडिसीन अँड बॅचलर ऑफ सर्जरी) व बी.डी.एस. (बॅचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) हे अभ्यासक्रम वगळून उर्वरित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे (व्यवस्थापन कोटयातील संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.६.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून सक्षम प्राधिकाऱ्याने निश्चित केल्याप्रमाणे आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंतचे शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येईल. तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शासनाने विहित केलेल्या प्रवेश प्रक्रीयेचा अवलंब करुन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून सक्षम प्राधिकाऱ्याने निश्चित केल्याप्रमाणे आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्काच्या १०० टक्के मर्यादेपर्यंतचे शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येईल.

६) वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय, शासन अनुदानित, अंशत: अनुदानित (अनुदानाच्या टप्प्यावरील) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित खाजगी विद्यापीठे वगळून) मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. (बॅचलर ऑफ मेडिसीन अँड बॅचलर ऑफ सर्जरी) व बी.डी.एस. (बॅचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) या अभ्यासक्रमांसाठी शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे (व्यवस्थापन कोटयातील संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेश घेतलेल्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून शुल्क नियामक प्राधिकरणाव्दारे निश्चित केल्याप्रमाणे आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंतचे शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येईल. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख पेक्षा जास्त

व रु.६.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना सक्षम शुल्क नियामक प्राधिकरणाव्दारे निश्चित केल्याप्रमाणे शिक्षण शुल्क महाविद्यालयास देण्यासाठी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बँकेकडून शैक्षणिक कर्ज घेतले असल्यास त्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम ही राष्ट्रीयकृत बँकेकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाच्या मर्यादेपर्यंतची रक्कम ही अनुदान स्वरुपात शासनाकडून संबंधित बँकेस वरील संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयानुसार अदा करण्यात येईल.

७) वरीलप्रमाणे शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीचा देण्यात येणारा लाभ हा शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या निवडक अभ्यासक्रमांसाठीच मर्यादित असेल.

८) तसेच सदरच्या सुधारीत राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत विविध प्रशासकीय विभागाच्या अखत्यारितील शासन मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेकरीता संबंधित विद्यापीठ, तंत्र शिक्षण मंडळ, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, इत्यादींकडून आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यन्तचे व शासन मान्यताप्राप्त बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेकरीता १०० टक्के परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती ही शिष्यवृत्ती स्वरुपात पात्र विद्यार्थ्यांना करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

**९)** तसेच शासनाने वरील संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत निर्धारित केलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशिवाय सदरच्या सुधारीत योजनेनुसार वरीलप्रमाणे नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना देखील प्रवेश घेणाऱ्या अल्प भूधारक शेतकरी आणि नोंदणीकृत मजूरांच्या पाल्यांना डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून लागू करण्यात येत आहे.

१०) याशिवाय ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्प भूधारक शेतकरी / नोंदणीकृत मजूर नाहीत, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे (दोन्ही पालकांचे एकत्रित) वार्षिक उत्पन्न रु.१.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना प्रचलित व नव्याने समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसह बिगर व्यावसायिक आणि उच्च माध्यमिक (इयत्ता ११ वी/ १२ वी) अभ्यासक्रमांसाठी, शैक्षणिक वर्षातील दहा महिन्याकरीता प्रतिमाह खालील नमूद दराप्रमाणे निर्वाह भत्ता अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

| अभ्यासक्रम | शैक्षणिक वर्षातील दहा महिन्याकरीता अनुज्ञेय निर्वाह भत्ता |
|---|---|
| व्यावसायिक अभ्यासक्रम (अल्प भूधारक शेतकरी / नोंदणीकृत मजूरांचे पाल्य वगळून) | रु. ३०००/- |
| बिगर व्यावसायिक | रु.२०००/- |
| उच्च माध्यमिक (इयत्ता ११ वी/ १२ वी) | रु.१०००/- |

तथापि, वरील संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित अल्पभूधारक शेतकरी / नोंदणीकृत मजूरांच्या पाल्यांना निर्वाह भत्याचा लाभ मिळणार असल्यामुळे यांना पुन्हा सदरच्या नवीन निर्वाह भत्ता योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

**योजनेंतर्गत लाभाच्या पात्रतेसाठी अटी व शर्ती -**

११) सदर योजनेचा लाभ हा शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ व त्यापूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे व सध्या विविध शैक्षणिक सत्रात शिकत आहेत अशा महाराष्ट्रातील अधिवासधारक व वादग्रस्त महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसह जे विद्यार्थी विहित अटी व शर्तीची पूर्तता करतील अशा सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून पुढे लाभ अनुज्ञेय असेल. यानुसार योजनेची अंमलबजावणी सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अखत्यारितील संचालनालयांनी करावी. तसेच सदर योजनेची अंमलबजावणी महाडीबीटी पोर्टलव्दारे ऑन-लाईन पध्दतीने करण्यासाठी संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

१२) तसेच सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र प्रत्येक इच्छुक लाभार्थ्याने अर्जासमवेत सादर करणे आवश्यक असेल.

१३) सदर प्रयोजनार्थ लाभाकरिता दरवर्षी अर्ज करताना त्यासंबंधीत शैक्षणिक वर्षाच्या लगतपूर्वीच्या वित्तीय वर्षाचे उत्पन्न विचारात घेऊन किमान संबंधित तहसिलदार अथवा सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल. संबंधित तहसिलदार अथवा सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र पालकांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नापेक्षा कमी आढळून आल्यास / बोगस आढळून आल्यास सदर प्रमाणपत्र निर्गमित करणारे अधिकारी, संबंधित विद्यार्थी आणि पालकाविरुध्द फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

१४) सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून संबंधीत विद्यार्थ्यास कुटूंबाच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देताना त्या विद्यार्थ्याच्या पालकांचे (आई व वडिल यांचे एकत्रित) वार्षिक उत्पन्न विचारात घ्यावे. तसेच ज्या

विद्यार्थ्यांचे आई-वडिल (पालक) हयात नसल्यामुळे उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडचण असल्यास उत्पन्न प्रमाणपत्राऐवजी संबंधीत शैक्षणिक संस्थानी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करुन त्याप्रमाणे पात्रतेकरीता प्रमाणित करुन योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांस सर्व कागदपत्रांसह शिफारस करावी. अशा प्रकारे प्राप्त शिफारशींच्या आधारे प्रकरणनिहाय तपासणी करुन योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने अशा अनाथ विद्यार्थ्यांना योजनेच्या पात्रतेसाठी प्रमाणपत्र द्यावे.

१५) सदर योजनेचा लाभ हा कुटूंबातील केवळ दोन अपत्यांपर्यंत मर्यादित असेल.

१६) या योजनेचा लाभ हा दूरस्थ पध्दतीने (Open / Distance / Virtual Learning) अथवा अर्धवेळ (Part-time) स्वरुपात चालविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही.

१७) सदर योजनेंतर्गत देण्यात येणारा लाभ हा शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या निवडक पूर्णवेळ अभ्यासक्रमांसाठी राज्यातील विद्यापीठे / तंत्र शिक्षण मंडळ/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांना संलग्नित असलेल्या शासकीय, शासन अनुदानित, अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदानावरील- विनाअनुदानित ) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, शासकीय विद्यापीठे आणि शासकीय /अनुदानित अभिमत विद्यापीठ (स्वयं अर्थसहाय्यित खाजगी विद्यापीठे व खाजगी अभिमत विद्यापीठे वगळून) या मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठीच मर्यादित राहिल.

१८) तसेच लाभाकरीता अनुज्ञेय असलेला अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासनाची व संबंधित सक्षम संस्थांची (AICTE /PCI /COA /MCI /NCTE, विद्यापीठ / शिक्षण मंडळ, इत्यादी) पूर्व मान्यता व संलग्नता असणे आवश्यक असेल.

१९) वरीलप्रमाणे नव्याने निर्धारित केलेल्या अभ्यासक्रमांपैकी व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना संबंधित अधिनियमातील तरतूदीनुसार शासनाने प्रवेश प्रक्रीयेकरीता नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे (CAP) / शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या पध्दतीनुसार प्रवेश घेणे बंधनकारक असेल.

२०) शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांपैकी केवळ कोणत्याही एकाच योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास संबंधित विद्यार्थी पात्र असेल.

२१) सदर योजनेच्या लाभाकरीता शासकीय अथवा शासन अनुदानित शैक्षणिक संस्था किंवा शासकीय विदयापीठ यांचेबाबतीत शासनाने निर्धारित केलेली व अन्य सर्व खाजगी अंशत: अनुदानित ( टप्पा अनुदानावरील ) व कायम विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्याबाबतीत संबंधित अधिनियमातील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकरणाने प्रत्येक वर्षी निश्चित केलेल्या शिक्षण शुल्काच्या

आधारे अनुज्ञेय मर्यादेपर्यंतची रक्कम, विहित परीक्षा शुल्क आणि निर्वाह भत्ता हा वरील संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या पध्दतीनुसार पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येईल.

२२) सदर योजनांतर्गत लाभ घेण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक वर्षात इच्छुक अर्जदार विद्यार्थ्यांची प्रवेशित अभ्यासक्रमासाठी किमान ५० टक्के उपस्थिती आवश्यक असून सदरची उपस्थिती ही आधारसंलग्नीत बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणालीवर विद्यार्थ्यांनी नोंदविणे आवश्यक असेल. तथापि, संबंधित विद्यापीठ/महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ /महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्या प्रचलित नियमानुसार त्यांनी परीक्षांसारख्या अन्य विविध प्रयोजनार्थ विहित केलेल्या उपस्थितीच्या प्रमाणाची स्वतंत्रपणे सर्व संबंधित विद्यार्थ्यांनी पूर्तता करणे आवश्यक असेल.

२३) या प्रयोजनार्थ शासकीय, अशासकीय अनुदानित संस्थांसह अन्य सर्व शैक्षणिक संस्थांना संस्थेतील बायोमेट्रीक उपस्थित प्रणालीवर संस्थेतील प्रवेशित सर्व विद्यार्थ्याची दैनंदिन उपस्थिती पारदर्शीपणे नोंदविणे आवश्यक असेल. याकरीता वरील संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे सदर योजनेत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संबंधित महाविद्यालयांना देखील त्यांच्या परिसरात आधार संलग्नीत STQC (Standardization Testing and Quality Certification) व UIDAI (Unique Identification Authority of India) प्रमाणित बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणाली शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून स्वखर्चाने स्थापित करणे बंधनकारक असेल. दरम्यानच्या कालावधीत संबंधित महाविद्यालयांनी त्यांच्या स्तरावर यापूर्वी स्थापित केलेल्या प्रचलित बायोमेट्रीक / अन्य उपस्थिती प्रणालीवर संबंधित विद्यार्थ्यांची नोंदविलेली दैनंदिन शैक्षणिक उपस्थिती विचारात घ्यावी.

२४) अर्जदार विद्यार्थ्यास प्रत्येक सत्र अथवा वर्षाची परीक्षा देणे आवश्यक राहिल. केवळ विशिष्ट परिस्थितीत विशेषत: आजारपणाच्या कारणास्तव परीक्षा देणे शक्य झाले नसल्यास तसे विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थेने शिफारस केल्यानंतर संबंधीत प्रशासकीय विभागाच्या अखत्यारितील उपसंचालक / सहसंचालक वा सक्षम अधिकारी यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक राहिल.

२५) पात्र लाभार्थी विद्यार्थी अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतल्यानंतर एखादया सत्राची (सेमिस्टरची) परीक्षा दिली नसल्यास अथवा एखादया शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्याने त्या वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसल्यास पुढील वर्षाकारीता या योजनेंतर्गत सदर विद्यार्थी लाभ मिळण्यास अपात्र राहिल. तथापि, तद्नंतर पुनश्च: त्या सत्रात/वर्षात परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर अथवा अंशत: उत्तीर्ण (ATKT) झाल्याने त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाल्यास सदर योजनेतील लाभासाठी पुन्हा पात्र ठरेल.

२६) परंतु असे पात्र लाभार्थी विद्यार्थी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यानंतर संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या एकूण कालावधीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळी पूर्णत: अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसल्यास संबंधित विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या उर्वरित कालावधीसाठी सदर योजनेंतर्गत लाभाकरीता कायमस्वरुपी अपात्र ठरेल.

२७) संबंधित विद्यार्थी स्वत:च्या चुकीच्या वर्तनामुळे समाधानकारक शैक्षणिक प्रगती करीत नसल्याबाबत किंवा संबंधित प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अनियमित असणे अथवा गैरहजर राहणे इत्यादी स्वरुपाचे गैरवर्तन करत असल्याबाबत संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने निदर्शनास आणले तर अशा विद्यार्थ्याची शुल्क शिष्यवृत्ती थांबविण्यात किंवा रद्द करण्यात येईल.

२८) ज्या अभ्यासक्रमांकरीता पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली आहे तो अभ्यासक्रम संबंधित विद्यार्थ्याने मध्येच सोडला तर अशा विद्यार्थ्यास प्रदान केलेल्या शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्य शासनास योग्य वाटल्यास त्याच्या/तिच्याकडून वसूल केली जाईल.

२९) लाभार्थी विद्यार्थी व संबंधित शिक्षण संस्था यांनी सदर योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी सादर केलेल्या अर्जात चूकीची अथवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्यास त्यास उर्वरित अभ्यासक्रमाच्या कालावधीसाठी लाभ देण्यात येणार नाही. तसेच, त्या विद्यार्थ्याला/संस्थेला त्यांनी सादर केलेल्या चूकीच्या माहितीच्या आधारे त्यापूर्वी मिळालेल्या लाभाच्या संपूर्ण रकमेची व्याजासह वसूली करण्यात येईल व कोणत्याही अन्य योजनेंतर्गत संबंधित विद्यार्थ्यास लाभ मिळण्यास प्रतिबंधित केले जाईल. या संदर्भातील सर्वस्वी जबाबदारी ही योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची असेल.

३०) सदर योजनेंतर्गत पात्र अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबंधित शैक्षणिक संस्था (NAAC, NBA इ.) मूल्याकंन/ पुर्नमूल्यांकन करण्यास पात्र ठरल्यानंतर त्यांना शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ च्या अखेरपर्यंत सक्षम शिखर संस्था / यंत्रणा/ मंडळाकडून असे मूल्यांकन व दर्जाचे मानांकन प्राप्त करणे (Assessment and Accreditation) आवश्यक राहील. तद्नंतर शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून संबंधित सक्षम शिखर संस्था/मंडळाकडून (NAAC, NBA इ.) मूल्यांकन व दर्जा निश्चिती करुन मानांकन प्राप्त न केल्यास अशा संस्थांचे मुल्यांकन व दर्जा मानांकन प्राप्त होईपर्यंत अशा शैक्षणिक संस्थांना योजनेतून वगळण्यात येईल. तद्नंतर केवळ मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये नव्याने प्रथम / थेट व्दितीय वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीताच सदर योजना लागू राहील.

३१) या योजनेंतर्गत व्यावसायिक पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित लाभार्थी विद्यार्थ्यांपैकी किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी (Placements) मिळवून देण्याची जबाबदारी ही संबंधित महाविद्यालय/ तंत्रनिकेतन यांची राहील.

३२) सदर योजनेमध्ये व त्याच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही पूर्वसूचना न देता बदल अथवा सुधारणा करण्याचे अधिकार शासनास राहतील व असे बदल केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्याबाबतचा दावा कोणत्याही विद्यार्थ्यास किंवा शैक्षणिक संस्थेस अथवा विद्यार्थ्याच्या पालकांना शासनाच्या विरुध्द करता येणार नाही.

## शिष्यवृत्तीच्या वितरणाची कार्यपद्धती:-

३३) या योजनेंतर्गत सध्या लाभ घेत असलेले व नवीन प्रत्येक पात्र इच्छुक अर्जदार विद्यार्थ्याने सदर प्रयोजनार्थ शासनाने माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय मार्फत विकसित केलेल्या महाडीबीटी पोर्टल वर ऑन-लाईन पध्दतीने अर्ज सादर करणे अनिवार्य असेल. या महाडिबीटी पोर्टलचा वापर करुनच अर्ज करण्यापासून ते रक्कम खात्यात जमा करण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया करणे अनिवार्य राहिल.

३४) महाराष्ट्र आधार (वित्तीय व इतर सहाय्य, लाभ आणि सेवा यांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनियम, २०१६ अन्वये विभागाने दिनांक १३/०४/२०१७ रोजी राजपत्रात प्रसिध्द केलेली शासन अधिसूचना (असाधारण क्र.८७) व वरील संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार ऑन-लाईन अर्जासोबत पात्र इच्छुक अर्जदारानी त्यांचा आधार क्रमांक देणे आवश्यक असेल. तसेच ज्या बँक खात्यात पात्र लाभार्थ्यांना रक्कम प्राप्त करुन घ्यावयाची आहे, असे खाते ऑन-लाईन अर्जासोबत दिलेल्या आधार क्रमांकाशी संलग्न असल्याची खात्री करणे आवश्यक असेल. शासनाने सदर प्रयोजनार्थ विहित केलेल्या पध्दतीनुसार संबंधित शैक्षणिक संस्थेने व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रीया अवलंबणे आवश्यक असेल. याकरीता सर्व संबंधित विद्यापीठे/शिक्षण मंडळाकडून सक्षम प्राधिकाऱ्यांना त्यांच्या संगणक प्रणालीशी जोडण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व प्रकारचे सहकार्य संबंधित प्रशासकीय विभागानी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास करणे अनिवार्य असेल.

३५) सक्षम प्राधिका-यास ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील विद्यार्थ्याची सर्व माहिती व त्यास दिलेला प्रवेश हा प्रवेश नियामक प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकरणाने वैध ठरविण्यात आल्याची पडताळणी करावी.

३६) प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी हा संबंधित शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतल्याची अथवा शिक्षण घेत असल्याची व शैक्षणिक संस्थेत बनावट विद्यार्थ्यांची नोंद नसल्याची संगणकीय प्रणालीद्वारे पडताळणी करणे आवश्यक असेल.

३७) प्रत्येक प्रवर्गातील अर्जदार विद्यार्थ्यांकरिता निश्चित केलेल्या त्याच्या कुटूंबाची (दोन्ही पालकांचे एकत्रित) उत्पन्न मर्यादा ही सक्षम अधिकाऱ्याने प्रमाणित केल्याची खातरजमा करणे

आवश्यक असून उत्पन्न प्रमाणपत्र हे किमान संबंधित तहसिलदार अथवा सक्षम प्राधिकारी यांचे असावे.

३८) अर्जदार विद्यार्थी हा प्रत्येक वर्षाच्या प्रथम सत्राच्या / वर्षाच्या परीक्षेस बसला असल्याबाबत खातरजमा करुन त्या विद्यार्थ्याची सर्व माहिती शैक्षणिक संस्थेने ऑन-लाईन स्वरुपात प्रमाणित करुन ऑन-लाईन अर्ज सक्षम अधिका-याकडे सादर करणे आवश्यक राहिल.

३९) ज्या अभ्यासक्रमांना सत्र परीक्षा पध्दती लागू नाही, अशा अभ्यासक्रमाकरीता संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश हा प्रवेश नियामक प्राधिकरण व संबंधित विद्यापीठाने / शिक्षण मंडळाने निश्चित केल्यानंतर विद्यापीठ/शिक्षण मंडळाकडे नोंदविण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक तपासून संबंधित अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणा-या पात्र विदयार्थ्यांचे आधारसंलग्नित बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणालीव्दारे सहा महिन्याचे पट पडताळून त्यानुसार प्रमाणित केल्यानंतर लाभासाठी निश्चित करण्यात येईल. तसेच आधार संलग्नित बायोमेट्रीक उपस्थित प्रणाली ही महाडीबीटी पोर्टलला जोडण्याकरीता आवश्यक असलेली संगणकीय प्रणाली माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने विकसित करावी.

४०) वरीलप्रमाणे प्राप्त झालेल्या ऑन-लाईन अर्जाची विहित पध्दतीने रितसर छाननी झाल्यानंतर त्यास वरील संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार पात्र लाभार्थ्यांना अनुज्ञेय असलेले शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, परीक्षा शुल्क व निर्वाह भत्याची रक्कम ही थेट स्वरुपात लाभार्थ्याच्या आधार संलग्नीत बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

४१) याप्रमाणे शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना संबंधित शैक्षणिक वर्षाकरीता मंजूर करण्यात येणारी अनुज्ञेय शिक्षण शुल्काची रक्कम ही दोन हप्त्यांमध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यास देण्यात येईल. त्यापैकी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून पहिला हप्ता हा संबंधित शैक्षणिक वर्षातील ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत व उर्वरित दुसरा हप्ता फेब्रुवारी अखेरपर्यंत लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्नीत बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

४२) तथापि, उपरोक्त मुदतीपूर्वी महाविद्यालय/ तंत्रनिकेतन यांनी सदर योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यास अनुज्ञेय असणाऱ्या शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची रक्कम ही संबंधित विद्यार्थ्याकडून प्रवेशाच्यावेळी आगाऊ स्वरुपात घेऊ नये व विद्यार्थ्यांची पिळवणूक होणार नाही याची योग्य ती खात्री शैक्षणिक संस्था करेल. तसेच संबंधित पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांस वरीलप्रमाणे DBT व्दारे अनुज्ञेय शिष्यवृत्तीची रक्कम ही त्यांनी त्यांच्या महाविद्यालय/ तंत्रनिकेतनास शुल्कापोटी तात्काळ अदा करावी व याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित विद्यार्थ्याची असेल.

४३) तसेच या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अदा करतेवेळी प्रत्येक टप्प्यावर अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांची त्याचा अभ्यासक्रम व शैक्षणिक संस्थानिहाय सविस्तर यादी संबंधित शैक्षणिक संस्थेस व संबंधीत संचालनालयास महाडीबीटी पोर्टलव्दारे उपलब्ध करुन

देण्याची कार्यवाही माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून करण्यात यावी. उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे या यादीतील नमूद पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय/तंत्रनिकेतनात प्रवेशाच्या वेळी कोणतीही अडचण येणार नाही याची खात्री संबंधित महाविद्यालय/तंत्रनिकेतन यांनी घ्यावी.

४४) तसेच अभ्यासक्रम व संस्थानिहाय सदर पात्र लाभार्थ्यांची यादी ही अंमलबजावणी करणाऱ्या संचालनालयाने देखील त्यांच्या संकेतस्थळावर न चुकता प्रसिध्द करणे बंधनकारक असेल. तथापि, संबंधित इच्छुक अर्जदारांनी नमूद केलेल्या त्यांच्या आधार क्रमांकासंदर्भात व त्यांच्या अन्य वैयक्तिक खाजगी स्वरुपाची माहिती ही सार्वजनिक होणार नाही, याची योग्य ती खबरदारी घेण्यात यावी.

४५) महाविद्यालये / तंत्रनिकेतन यांचेकडून इच्छुक अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या ऑन-लाईन अर्जाची छाननी करतांना त्या विद्यार्थ्याच्या सत्रनिहाय उपस्थितीचा व त्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सत्र / वार्षिक परीक्षेबाबतचा तपशिल तपासून सादर करणे आवश्यक असेल व याची जबाबदारी ही संबंधित महाविद्यालय/ तंत्रनिकेतनांच्या प्राचार्यांची असेल. तथापि, प्रथम सत्रामध्ये देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या पहिल्या हप्त्याच्या रकमेसाठी विद्यार्थ्यांची किमान उपस्थिती व परीक्षेबाबतची माहिती विचारात घेण्यात येऊ नये. परंतु त्यापुढील सर्व सत्राकरीता उर्वरित शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्यापूर्वी त्या विद्यार्थ्याची लगतपूर्वीच्या सत्रातील आधारसंलग्नीत बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणालीव्दारे नोंदविलेली किमान ५० टक्के इतकी उपस्थिती व लगतपूर्वीच्या सत्र परीक्षेस बसला असल्याची खात्री करणे आवश्यक असेल.

<u>अन्य महत्वपूर्ण बाबी :-</u>

४६) यापूर्वी संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे सदर प्रयोजनार्थ सर्व विद्यापीठे / महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ / महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ/ स्वायत्तता प्राप्त महाविद्यालये/तंत्रनिकेतन यांनी प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित करताना त्यांचा आधार क्रमांक हा संबंधित विद्यापीठ/मंडळाच्या संलग्नीत महाविद्यालय / तंत्रनिकेतनाच्या unique सांकेतिक क्रमांकाशी (AISHE/School Code अथवा विद्यापीठ/ मंडळाने दिलेला नोंदणीकृत क्रमांक) जोडून त्या आधारे विकसित केलेली शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थ्यांची व महाविद्यालयाचे शिक्षण शुल्काबाबतची अभ्यासक्रमनिहाय परिपूर्ण माहिती (Data base) ही महाडीबीटी पोर्टलशी जोडण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

४७) सदर प्रयोजनार्थ प्रत्येक योजनेकरीता संबंधित संचालनालय/आयुक्तालय यांनी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बँकेत एक संयुक्त खाते उघडून त्याव्दारे लाभार्थी विद्यार्थ्यांना

शिष्यवृत्ती माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने विकसित केलेल्या राज्यस्तरीय महाडीबीटी पोर्टल मार्फत अदा करण्याची कार्यवाही करावी. वरील नमूद खात्याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही खाते (जिल्हा/ तालुका/ विभाग स्तरावर) ठेवण्यात येऊ नये.

४८) विविध प्रशासकीय विभागांच्या अखत्यारितील कोणते अभ्यासक्रम व्यावसायिक किंवा बिगर व्यावसायिक आहेत याबाबतची माहिती ही प्रस्तावित शासन निर्णयासोबत जोडण्यात येणाऱ्या परिशिष्टामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. तथापि, यासंदर्भात बदल करावयाचा असल्यास त्याअनुषंगाने संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांचेशी संबंधित अधिनियमातील तरतूदी किंवा केंद्र शासनाच्या शिखर परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे शासन मान्यतेने करावी.

४९) सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांच्या अखत्यारितील संचालनालयाच्या/आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/तंत्रनिकेतनांमध्ये स्थापित करावयाच्या आधार संलग्नीत बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणालीकरीता येणारा खर्च हा त्यांच्या स्वीय प्रपंची लेख्यामधून (पीएलए) करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

५०) सदर योजनेंतर्गत निर्धारित केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या नावात आवश्यकतेनुरुप बदल करणे अथवा रद्द करणे अथवा नव्याने एखादया अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याकरीता किंवा या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “क” मध्ये नमूद केलेले अभ्यासक्रम सद्य:स्थितीत अकृषी विद्यापीठात अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले असले तरी या अभ्यासक्रमांचा आवश्यकतेनुरुप समावेश करण्याबाबत उचित निर्णय घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखालील अपर मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (कृषी /पदुम), प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण), सचिव (सामाजिक न्याय), सचिव (आदिवासी विकास) आणि सचिव (वैद्यकीय शिक्षण) यांचा समावेश असलेल्या सचिवस्तरीय प्रदत्त समितीला (Empowered Committee) अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत.

५१) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावीपणे पारदर्शी पध्दतीने काटेकोररित्या अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध बाबींकरीता येणारा प्रशासकीय खर्च हा वरील संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार भागविण्यात यावा.

५२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील उच्च शिक्षण संचालनालय, कला संचालनालय व तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील पात्र अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, परीक्षा शुल्क आणि निर्वाह भत्ता देण्यासाठी सदर योजनेंतर्गत अनुक्रमे संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, संचालक, कला संचालनालय आणि संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांना संनियंत्रण व समन्वयक

अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच उच्च शिक्षण आणि तंत्र शिक्षण संचालनालयांच्या नियंत्रणाखालील विभागीय सहसंचालक यांना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

५३) सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शुल्क शिष्यवृत्ती बाबत विविध विभागांच्या अखत्यारीतील सर्व सक्षम प्राधिकारी किंवा नेमून दिलेल्या त्यांच्या प्रतिनिधीद्वारे वेळोवेळी दरवर्षी लाभार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व उपस्थिती बाबत खात्री करावी. त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना वेळापत्रकासह संनियंत्रण व समन्वयक अधिकाऱ्यांनी निर्गमित कराव्यात. तसेच या योजनेतील त्रुटी संदर्भातील निरीक्षण व फलनिष्पत्तीचा अहवाल शासनास न चुकता वेळोवेळी सादर करणे अनिवार्य असेल.

५४) तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क शिष्यवृत्तीचा खर्च हा मागणी क्र.डब्ल्यू-३, "मुख्य लेखाशिर्ष २२०३-तंत्र शिक्षण, १०७ शिष्यवृत्त्या, (००)(०६) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना (२२०३ ०७४८) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच अनुज्ञेय निर्वाह भत्त्याचा खर्च हा डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेकरीता नव्याने उघडण्यात आलेल्या "मुख्य लेखाशिर्ष "२२०३-तंत्र शिक्षण, १०७ शिष्यवृत्त्या, (००)(०९) डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (२२०३००००) ३४ शिष्यवृत्या/विद्यावेतने" या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकून मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

५५) तसेच उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क शिष्यवृत्तीचा खर्च हा "मुख्य लेखाशीर्ष २२०२- उच्च शिक्षण, १०७ शिष्यवृत्त्या (०२) (०९) ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.१५०००/- पेक्षा अधिक नाही अशा विद्यार्थ्यांना फी माफी (२२०२ १४५६) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)" लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

५६) या योजनेंतर्गत नव्याने काही अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला असल्याने व निर्वाह भत्ता देण्यात येणार असल्यामुळे ज्या प्रशासकीय विभागांच्या अखत्यारितील संबंधित संचालनालय/आयुक्तालय यांचेकडे सदर प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उपलब्ध नसल्यास शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क शिष्यवृत्ती आणि निर्वाह भत्त्याकरीता असे दोन स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची कार्यवाही करावी.

५७) सदर योजनेंतर्गत कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये या विभागांच्या अखत्यारितील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या

आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी यासंदर्भात विहित अटी / शर्ती, अनुज्ञेय लाभ इत्यादीबाबींचा अंतर्भाव करुन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी तसेच संनियंत्रण व समन्वयक अधिकारी घोषित करण्यासाठी आवश्यक ते पूरक आदेश या विभागांनी त्यांच्या स्तरावर तात्काळ निर्गमित करावेत.

५८) सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९१३/ व्यय-५, दिनांक १८ /०९/२०१७ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

५९) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्धकरुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१७१००७१२३५१०८८०८ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,

Dr.Kiran Patil

Digitally signed by Dr.Kiran Patil
Date: 2017.10.07 14:54:59 +05'30'

**( डॉ. किरण पाटील )**
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन

**प्रति,**

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई
४. प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
६. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई
७. सचिव (पशु संवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय) विभाग, मंत्रालय, मुंबई
८. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई
९. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१०. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई
११. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई
१२. सर्व सन्मानीय विधानपरिषद व विधानसभा सदस्य
१३. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
१४. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
१५. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९, खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
१६. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१

१७. सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
१८. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
१९. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
२०. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२१. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२२. आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
२३. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२४. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२५. संचालक, पशु संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
२६. कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे
२७. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.मागणगांव, जि.रायगड
२८. कुलगुरु,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक
२९. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
३०. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (सर्व), (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत)
३१. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सर्व)
३२. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी)
३३. सर्व जिल्हाधिकारी
३४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर
३५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर
३६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
३७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई
३८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
३९. सर्व संबंधित मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक
४०. उप सचिव (मशि/विशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
४१. अवर सचिव (तांशि-३, विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
४२. कक्ष अधिकारी (मशि-२/मशि-४/तांशि-५/तांशि-६/साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
४३. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव
४४. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव
४५. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक
४६. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक
४७. निवडनस्ती/तांशि-४

# परिशिष्ट-अ

## शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, दिनांक ७ ऑक्टोबर,२०१७ सोबतचे परिशिष्ट

**Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students**

| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duratio n (Year) (3) | Whether course is Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachelor of Technology Agriculture Engineering | 4 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 2 | Bachelor of Science (Agri. Bio-Technology) | 4 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 3 | Bachelor of Science (Horticulture) | 4 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 4 | Bachelor of Science (Agriculture) | 4 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 5 | Bachelor of Business Administration (Agriculture) | 4 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 6 | Master of Science (Agriculture) | 2 | YES | PG | Agriculture | Agriculture | * |
| 7 | Master of Science (Horticulture) | 2 | YES | PG | Agriculture | Agriculture | * |
| 8 | Master of Science (Post Harvest Management) | 2 | YES | PG | Agriculture | Agriculture | * |
| 9 | Master of Science (Agricultural Biotechnology) | 2 | YES | PG | Agriculture | Agriculture | * |
| 10 | Agriculture Polytechnic | 3 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 11 | Krushi Tantra Padvika | 2 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 12 | Master of Business Administration (Agriculture) | 2 | YES | PG | Management | Agriculture | * |
| 13 | Diploma in Live Stock Management & Dairy Production (Dairy Diploma) | 3 | YES | Diploma | Animal Husbandry | Animal Husbandry | * |
| 14 | Bachelor of Science (Animal Husbandry) | 4 | YES | UG | Animal Husbandry | Animal Husbandry | * |
| 15 | Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc. & A.H.) (Graduate) | 5 | YES | UG | Animal Husbandry | Animal Husbandry | * |
| 16 | Bachelor of Technology (Dairy Tech.) B.Tech. (Dairy Tech.) (Graduate) | 4 | YES | UG | Dairy Technology | Animal Husbandry | * |
| 17 | Bachelor of Fisheries Science (B.F. Sc.) (Graduate) | 4 | YES | UG | Fisheries | Animal Husbandry | * |
| 18 | Master of Science (Home Science) Food Science and Nutrition | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duratio n (Year) (3) | Whether course is Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
| 19 | Master of Science (Home Science) Human Development | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 20 | Master of Science (Home Science) Textile and Clothing | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 21 | Master of Science (Food Science) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 22 | Master of Science (Home Science) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 23 | M.Sc. (Home Science) Foods, Nutrition & Dietetics | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 24 | M.Sc. (Home Science) Foods Processing & Preservation | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 25 | M.Sc. (Home Science) Sports Nutrition | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 26 | Master of Arts in Sociology | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 27 | Master of Arts (Public Administration) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 28 | Master of Arts Human Science | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 29 | Master of Arts in Arabic | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 30 | Master of Arts in Geography | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 31 | Master of Arts in Home Science | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 32 | Master of Arts in Music | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 33 | Master of Arts Mass A Communication & Journalism | 3 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 34 | Master of Arts Pali | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 35 | Master of Arts Politics | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 36 | Master of Mass A communication | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 37 | Master of Arts | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 38 | Master of Arts (Dance) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 39 | Master of Arts (Kirtan shastra) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 40 | Master of Arts (Sanskrit) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 41 | Master of Arts (Yogshashtra) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 42 | Master of Arts (Kala and Lalitkala) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 43 | Master of Arts Anthropology | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 44 | Master of Arts Buddhist-Studies | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 45 | Master of Arts Hindi (Comparative Literature) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 46 | Master of Arts Hindi (Language Technology) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duratio n (Year) (3) | Whether course is Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
| 47 | Master of Arts Mass Communication | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 48 | Master of Arts Non-violence and Peace Studies | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 49 | Master of Arts Women Studies | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 50 | Bachelor of Arts in Music | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 51 | Master of Arts in Economics | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 52 | Master of Arts in English | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 53 | Master of Arts in Hindi | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 54 | Master of Arts in History | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 55 | Master of Arts in Marathi | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 56 | Master of Arts in Philosophy | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 57 | Master of Arts in Politics | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 58 | Master of Arts in Psychology | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 59 | Master of Arts in Urdu | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 60 | Master of Arts Clinical Psychology | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duratio n (Year) (3) | Whether course is Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
| 61 | Master of Arts Industrial Psychology | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 62 | Master of Arts in Home Economics | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 63 | Master of Arts in Master of Journalism & Mass Communication | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 64 | Master of Arts in Political Science | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 65 | Master of Arts in Kannad | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 66 | Master of Art Human Right | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 67 | Master of Arts in Education | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 68 | Master of Arts in Public Administration | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 69 | Master of Arts in Sanskrit | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 70 | Master of Arts (Education and Communication) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 71 | Master of Arts (Public Services) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 72 | Master of Arts (Subject Communication) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 73 | Master of Arts (Mass Media) | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 74 | Master of Arts (Marathi Literature) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |

**Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students**

| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duratio n (Year) (3) | Whether course is Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Master of Arts in counselling | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 76 | Master of Arts in development studies | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 77 | Master of Arts in social work | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 78 | Master of Arts Women Studies | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical | DHE |
| 79 | Master of Arts (Rural Development) | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 80 | Master of Arts (Applied Economic.) | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 81 | Master of Arts (A.I.H.C. & A.) | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 82 | Master of Arts (Defense Studies) | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 83 | Bachelor of Arts in Music | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 84 | Bachelor of Arts | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 85 | Bachelor of Arts (Dance) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 86 | Bachelor of Arts (Yogshashtra) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 87 | B.A. Home Science | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 88 | B.A. (Arts & Craft) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 89 | Bachelor of Arts (Economics) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 90 | Bachelor of Arts (Environmental Studies) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 91 | Bachelor of Arts (Pali) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 92 | Bachelor of Mass Media | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 93 | Bachelor of Social Work | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 94 | Bachelor of Social Science | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 95 | Bachelor of Arts | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 96 | B.A. in Social Work | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 97 | Bachelor of Journalism & Mass Communication | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 98 | Bachelor of Arts (M.C.J) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 99 | Bachelor of Arts Lalit Kala | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 100 | Bachelor of Journalism | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 101 | Bachelor of Arts in Journalism | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 102 | Bachelor of Arts (Geography) | 3 | No | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duratio n (Year) (3) | Whether course is Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
| 103 | Bachelor of Arts. (Psychology) | 3 | No | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 104 | Bachelor of Art in Rural services | 3 | No | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 105 | Bachelor of Education (Shikshan Shastra) | 1 | NO | UG | B.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 106 | Master of Physical Education | 1 | NO | PG | B.P.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 107 | Bachelor of Physical Education (B.P.E) | 3 | No | UG | B.P.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 108 | Master of Commerce | 2 | NO | PG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 109 | Master of Commerce Accountancy | 2 | NO | PG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 110 | Master of Commerce (Subject Communication) | 2 | NO | PG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 111 | Bachelor of Commerce in Global Finance | 3 | NO | UG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 112 | Bachelor of Commerce in Foreign Trade | 3 | NO | UG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 113 | Bachelor of Commerce (A&F) | 3 | NO | UG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 114 | Bachelor of Commerce (B&I) | 3 | NO | UG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 115 | Bachelor of Commerce | 3 | NO | UG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 116 | Bachelor of Commerce (A&C) (B&I) | 3 | NO | UG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duratio n (Year) (3) | Whether course is Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
| 117 | Bachelor of Commerce in Tax Procedure & Practices (Vocational Course) | 3 | NO | UG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 118 | Master of Public Administration | 2 | NO | PG | Management | Higher & Technical Education | DHE |
| 119 | Master of Science in Genetic | 2 | NO | PG | Medical | Higher & Technical Education | DHE |
| 120 | Master of Science Drug Chemistry | 2 | NO | PG | Medical | Higher & Technical Education | DHE |
| 121 | Master of Science Zoology | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 122 | Master of Science Artificial Intelligent & Embedded | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 123 | Master of Science Bio - Chemistry | 1 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 124 | Master of Science Bio - Informatics | 1 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 125 | Master of Science Environment | 1 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 126 | Master of Science Genetics | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 127 | Master of Science Geology | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 128 | Master of Science in Analytical Chemistry | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 129 | Master of Science in Bio-Processing | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 130 | Master of Science in Electronic | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 131 | Master of Science in Forensic Science | 1 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 132 | Master of Science in Industrial Chemistry | 3 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 133 | Master of Science in Math's | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 134 | Master of Science Micro Biology | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 135 | Master of Science Physics | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 136 | Master of Science Plant Building & Molecular Genetics | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 137 | Master of Science | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 138 | Master of  Science (Geography) | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 139 | Master of Science In Organic Chemistry | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 140 | Master of Science (Botony) | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 141 | Master of Science (Chemistry) | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 142 | Master of Science (Statistics) | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 143 | Master of Science Electronic Media | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 144 | M.A. M.Sc - Geography | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 145 | M.A. M.Sc - Mathematics | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 146 | Master of Science Biodiversity | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 147 | Master of Science Biotechnology | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 148 | Master of Science Electronic Science | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 149 | Master of Science Environmental Science | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 150 | Master of Science Inorganic Chemistry | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 151 | Master of Science Organic Chemistry | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 152 | Master of Science Petroleum Technology | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 153 | Master of Science Physical Chemistry | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 154 | Master of Science Polymer Science | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 155 | Master of Science Communication Media for Child | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 156 | Master of Science in Nutrition & Food Processing | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 157 | Master of Science Clinical Nutrition & Dietetics | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 158 | Master of Science Food Science and Nutrition | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duratio n (Year) (3) | Whether course is Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
| 159 | Master of Science (Bioinformatics) | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 160 | Master of Science in Geoinformatics | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 161 | Master of Science in Industrial Chemistry | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 162 | Master of Science in Electronics Instrumentation | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 163 | Master of Science Environmental Technology | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 164 | M.Sc. (Biology) | 2 | No | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 165 | M.Sc. (Bio-Analytical Science) | 2 | No | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 166 | Master of science (Polymer Chemistry) | 2 | No | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 167 | Master of science (Material Science) | 2 | No | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 168 | Master of Science (AGPM) | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 169 | Master of Library Science | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 170 | Bachelor of library & information Science | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 171 | Bachelor of Library Science | 1 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 172 | Bachelor of Science | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 173 | Bachelor of Science in Forensic Science | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 174 | Bachelor of Science in Refrigeration & A/C | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 175 | Bachelor of Science Informatics | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 176 | Bachelor of Science Bio-Tech.(Entire) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 177 | Bachelor of Science (Biochemistry) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 178 | Bachelor of Science (Food Science and Quality Control) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 179 | Bachelor of Science (Forensic Science Entire) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 180 | Bachelor of Science (Nano Science and Tech. Entire) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 181 | Bachelor of Science (Sugar Technology) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 182 | Bachelor of Science (Botany) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 183 | Bachelor of Science (C.S. with Maths & Statistics) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 184 | Bachelor of Science (Chemistry) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 185 | Bachelor of Science (With PCM/Microbiology) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 186 | Bachelor of Science (Zoology) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 187 | Bachelor of Science (B.Tech.) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 188 | Bachelor of Science (Bio-chemistry) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 189 | Bachelor of Science Biotechnology | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 190 | Bachelor of Science Electronic | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 191 | Bachelor of Science Environmental Science | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 192 | Bachelor of Science Home Science | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 193 | Bachelor of Science Wine Technology | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 194 | Bachelor of Science in Food Science Quality Control | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 195 | Bachelor of Science (Clinical Lab Science) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 196 | Bachelor of Science (Food Science & Quality Control) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 197 | Bachelor of Science (Bioinformatics) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 198 | Bachelor of Science (Biotech) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 199 | Bachelor of Science (ECS) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 200 | Bachelor of Science (Entrepreneurship) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 201 | Bachelor of Science Bio - Chemistry | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 202 | Bachelor of Science Food Science | 2--3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 203 | Bachelor of Science (Actuarial Science) | 3 | No | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 204 | Post Graduate Diploma Courses in Film Direction | 3 | YES | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 205 | Post Graduate Diploma Course in Art Direction & Production Design | 2 | YES | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 206 | Master of Social Work | 2 | YES | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 207 | BVA | 4 | YES | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 208 | Post Graduate Diploma in Nutrition & Dietetics | 2 | YES | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 209 | Diploma in Teacher Education | 2 | YES | Diploma | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 210 | Bachelor of Arts in Performing Art (Dance) | 4 | YES | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 211 | Bachelor of Arts in Performing Art (Music) | 4 | YES | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 212 | Bachelor of Arts in Performing Art (Drama) | 4 | YES | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 213 | Bachelor of Arts in Performing Art | 4 | YES | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 214 | Bachelor of Education | 1 | YES | UG | B.Ed | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duratio n (Year) (3) | Whether course is Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
| 215 | Bachelor of Education (Hearing Impaired) | 1 | YES | UG | B.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 216 | Bachelor of Education (Special Education) | 1 | YES | UG | B.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 217 | Bachelor Of Education (M.R.) | 1 | YES | UG | B.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 218 | Master of Education (Physical Education) | 2 | YES | PG | B.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 219 | Bachelor of Education H.R. | 1 | YES | UG | B.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 220 | B.A. B.Ed. | 4 | YES | UG | B.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 221 | B.Sc. B.Ed. | 4 | YES | UG | B.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 222 | Bachelor of Physical Education | 1 | YES | UG | B.P.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 223 | Post Graduate Diploma in Cyber Law | 3 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 224 | Post Graduate Diploma in Corporate Law | 1 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 225 | Post Graduate Diploma in Intellectual Property Law | 1 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 226 | Post Graduate in Diploma in Digital & Cyber Forensic science Related law | 1 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 227 | Post Graduate in Diploma in Forensic science Related law | 1 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 228 | LL.B. | 3 | YES | UG | Law | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 229 | B.S.L.LL.B | 5 | YES | UG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 230 | Master of Laws (LL.M) | 2 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 231 | Master of Labour Laws & Labour Welfare | 2 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 232 | L.L.M (Business Law) | 2 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 233 | L.L.M (Constitution Law) | 2 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 234 | L.L.M (Constitution And Administration Law) | 2 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 235 | L.L.M (Corporate Law) | 2 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 236 | L.L.M (Criminal Law) | 2 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 237 | L.L.M (Criminology And Payaralogy Law) | 2 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 238 | L.L.M (Human Rights) | 2 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 239 | Post Graduate Diploma in Banking Laws | 1 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 240 | Post Graduate Diploma in Consumer Law | 1 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 241 | Post Graduate Diploma in Criminology & Forensic Law | 1 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 242 | Post Graduate Diploma in Dr. B.R. Ambedkar & Indian Legal System | 1 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 243 | Post Graduate Diploma in Environmental Law | 1 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 244 | Post Graduate Diploma in Intellectual & Property Law | 1 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 245 | Post Graduate Diploma in Labour Law | 1 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 246 | L.L.B. | 5 | YES | UG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 247 | Master of Education | 1 | YES | PG | M.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 248 | Bachelor of Science (Bio-Technology) | 4 | YES | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 249 | Master of library & information science | 2 | YES | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 250 | Master of Library and Information Science | 2 | YES | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 251 | Bachelor of Architecture | 4 | YES | UG | Architecture | Higher & Technical Education | DTE |
| 252 | Bachelor of Architecture in Interior Design | 4 | YES | UG | Architecture | Higher & Technical Education | DTE |
| 253 | Bachelor of Textile (Fashion Technology) | 4 | YES | UG | Arts | Higher & Technical Education | DTE |
| 254 | Bachelor of Textile (Man-Made Textile Technology) | 4 | YES | UG | Arts | Higher & Technical Education | DTE |
| 255 | Bachelor of Textile (Textile Chemistry) | 4 | YES | UG | Arts | Higher & Technical Education | DTE |
| 256 | Bachelor of Textile (Textile Plant Engineering) | 4 | YES | UG | Arts | Higher & Technical Education | DTE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 257 | Bachelor of Textile (Textile Technology) | 4 | YES | UG | Arts | Higher & Technical Education | DTE |
| 258 | Bachelor of Engineering Electrical (Electronics & Power) | 4 | YES | UG | Electronics | Higher & Technical Education | DTE |
| 259 | Bachelor of Engineering Civil | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 260 | Bachelor of Engineering Electronic | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 261 | Bachelor of Engineering Electronics & Communication Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 262 | Bachelor of Engineering in Chemical Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 263 | Bachelor of Engineering in Instrumentation & Control Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 264 | Bachelor of Engineering in Bio Technology | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 265 | Bachelor of Engineering in Computer Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 266 | Bachelor of Engineering in Computer Science & Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 267 | Bachelor of Engineering in Information Technology | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 268 | Bachelor of Engineering in Mechanical | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 269 | Bachelor of Engineering Mechanical Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 270 | Bachelor of Engineering Production Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 271 | Bachelor of Technology Civil Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 272 | Bachelor of Technology in Computer Science | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 273 | Bachelor of Technology in Instrumentation & Control Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 274 | Bachelor of Technology in Plastic & Polymer Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 275 | Bachelor of Technology in Production Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 276 | Bachelor of Engineering (Electrical) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 277 | Bachelor of Engineering (Electronics and Telecommunication) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 278 | Bachelor of Engineering (Environmental) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 279 | Bachelor of Engineering (Automobile) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 280 | Bachelor of Technology (Automobile) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 281 | Bachelor of Technology (Computer Science And Engineering) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 282 | Bachelor of Technology (Electrical) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 283 | Bachelor of Technology (Electronics and Telecommunication) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 284 | Bachelor of Technology (Electronics) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 285 | Bachelor of Technology (Information Technology) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 286 | Bachelor of Technology (Mechanical) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 287 | Bachelor of Engineering (Electronics & Communication) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 288 | Bachelor of Engineering (Printing & Graphics) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 289 | Bachelor of Industrial Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 290 | Bachelor of Instrumentation Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 291 | Bachelor of Petrochemical Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 292 | Bachelor of Petroleum Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 293 | Bachelor of Polymer Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 294 | Bachelor of Production Sandwich | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 295 | Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 296 | Bachelor of Engineering Electrical (Electrical & Power) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 297 | Bachelor of Technology (Polymer) (Plastic) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 298 | Bachelor of Textile Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 299 | Bachelor of Engineering Computer Technology | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 300 | Bachelor of Technology Textile | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 301 | Bachelor of Technology Chemical Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 302 | Bachelor of Technology Instrumentation | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 303 | Bachelor of Mining Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 304 | Bachelor of Technology (Printing & Graphic Art) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 305 | Bachelor of Engineering (Electrical & Electronics Engineering) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 306 | Bachelor of Engineering (Electronic & Electrical Engineering) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 307 | Bachelor of Chemical Engineering (B.Chem.Engg.) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 308 | Bachelor of Technology (B.Tech.) in Fibers & Textiles Processing | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 309 | Bachelor of Technology (B.Tech.) in Food Engineering & Technology | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 310 | Bachelor of Technology (B.Tech.) in Oils, Oleochemicals & Surfactants Technology | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 311 | Bachelor of Technology (B.Tech.) in Polymer Engineering & Technology | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 312 | Bachelor of Technology (B.Tech.) in Surface Coating Technology | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 313 | Bachelor of Electrical Electronics & Power Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 314 | Bachelor of Engineering of Mechanical (Direct 2nd Year) | 3 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 315 | Bachelor of Engineering of Computer (Direct 2nd Year) | 3 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 316 | Bachelor of Engineering of Electronics & Telecommunication (Direct 2nd Year) | 3 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 317 | Bachelor of Engineering Civil (Second Shift) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 318 | Bachelor of Engineering Electronic (Second Shift) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 319 | Bachelor of Engineering Mechanical (Second Shift) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 320 | Bachelor of Engineering Electronic & Telecommunication (Second Shift) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 321 | Bachelor of Engineering in Computer Engineering (Second Shift) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 322 | Bachelor of Engineering in Computer Science & Engineering (Second Shift) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 323 | Bachelor of Engineering in Information Technology (Second Shift) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 324 | Bachelor Of Engineering Electrical (Second Shift) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 325 | Bachelor of Engineering Electronics & Communication (Second Shift) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 326 | Bachelor of Engineering Electrical Electronics & Power (Second Shift) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 327 | Bachelor of Engineering (Aeronautical Engineering) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 328 | Bachelor of Chemical Engineering ( B.Chem.Engg. ) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 329 | Diploma (Polytechnic) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 330 | Diploma in Engineering (Industrial Electronics) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 331 | Diploma in Electrical Engineering | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 332 | Diploma in Electronics & Telecommunication | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 333 | Diploma in Engineering (Automobile) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 334 | Diploma in Engineering (Chemical) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 335 | Diploma in Engineering (Civil) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 336 | Diploma in Engineering (Computer Technology) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 337 | Diploma in Engineering (Computer) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 338 | Diploma in Engineering (Electrical) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 339 | Diploma in Engineering (Electronics) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 340 | Diploma in Engineering (ENTC) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 341 | Diploma in Engineering (IT) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 342 | Diploma in Engineering (Mechanical) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 343 | Diploma in Engineering (Civil and Rural) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 344 | Diploma in Engineering (Plastic and Polymer) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 345 | Diploma in Engineering Dress Designing and Garment Manufacturing | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 346 | Diploma in Engineering (Instrumentation) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 347 | Diploma in Engineering (Mining and Mine Surveying) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 348 | Diploma in Engineering (Computer Science) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 349 | Diploma in Engineering (Printing Technology) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 350 | Diploma in Engineering (Medical Electronics) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 351 | Diploma in Engineering (Production) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 352 | Diploma in Engineering (Metallurgical Engineering) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 353 | Diploma in Engineering (Sugar Manufacturing) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 354 | Diploma in Engineering (Textile Manufactures) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duratio n (Year) (3) | Whether course is Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
| 355 | Diploma in Engineering Textile Technology | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 356 | Diploma in Engineering Construction Technology | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 357 | Diploma in Engineering (Automobile) (Second Shift) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 358 | Diploma in Engineering (Architecture Assistantship) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 359 | Diploma in Engineering (Medical Laboratory Technology) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 360 | Diploma in Engineering (Leather Goods and Footwear Technology) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 361 | Diploma in Engineering (Leather Technology) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 362 | Diploma in Engineering (Instrumentation and Control) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 363 | Diploma in Engineering (Food Technology) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 364 | Diploma in Engineering (Digital Electronics) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 365 | Diploma in Engineering (Apparel Manufacturing and Design) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 366 | Diploma in Engineering (Ophthalmic Technology) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 367 | Diploma in Engineering (Petro Chemical) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 368 | Diploma in Engineering (Electrical Power System) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 369 | Diploma in Engineering (Packaging Technology) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 370 | Diploma in Engineering (Mining) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 371 | Diploma in Engineering (Electronics) (Aided) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 372 | Diploma in Engineering (Information Technology)(Second Shift) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 373 | Diploma in Engineering (Electronics and Communication) (Second Shift) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 374 | Diploma in Engineering (Plastics) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 375 | Diploma in Engineering (Industrial Electronics) (Second Shift) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 376 | Diploma in Engineering (Production Technology) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 377 | Diploma In Engineering Surface Coating Technology | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 378 | Diploma in Engineering Electronics & Telecommunication (Second Shift) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 379 | Diploma in Engineering Civil (Second Shift) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 380 | Diploma in Engineering Computer Technology (Second Shift) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 381 | Diploma in Engineering Computer (Second Shift) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 382 | Diploma in Engineering Electrical (Second Shift) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |

**Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students**

| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duratio n (Year) (3) | Whether course is Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | Diploma in Engineering Electronics (Second Shift) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 384 | Diploma in Engineering Mechanical (Second Shift) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 385 | Diploma in Engineering Information Technology (Second Shift) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 386 | Diploma in Engineering Computer Science (Second Shift) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 387 | Diploma in Engineering Automobile (Second Shift) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 388 | Diploma in Engineering (Fashion and Clothing) Technology | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 389 | Diploma in Engineering Interior Design | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 390 | Bachelor of Hotel Management and Catering Technology (BHMCT) | 4 | YES | UG | Management | Higher & Technical Education | DTE |
| 391 | Master of Business Administration | 2 | YES | PG | Management | Higher & Technical Education | DTE |
| 392 | Master of Business Administration (Technical Campus) | 2 | YES | PG | Management | Higher & Technical Education | DTE |
| 393 | Master of Business Administration | 2 | YES | PG | Management | Higher & Technical Education | DTE |
| 394 | Master of Management Studies (Only Mumbai University) | 2 | YES | PG | Management | Higher & Technical Education | DTE |
| 395 | Master of Business Administration (2nd Shift) | 2 | YES | PG | Management | Higher & Technical Education | DTE |
| 396 | Diploma in Medical Laboratory technology (DMLT) | 3 | YES | Diploma | Medical | Higher & Technical Education | DTE |

| Annexure A: List of courses (mentioned in Ref. no. 6 G.R. dated 21/08/2017) for which presently scholarship is provided under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Scheme for EBC students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duratio n (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 397 | Bachelor of Pharmacy | 4 | YES | UG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 398 | Diploma in Pharmacy | 2 | YES | Diploma | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 399 | Bachelor of technology (Food Technology) | 4 | YES | UG | Science | Higher & Technical Education | DTE |
| 400 | Diploma In Food Technology | 3 | YES | Diploma | Science | Higher & Technical Education | DTE |
| 401 | Master of Computer Application | 3 | YES | PG | Science | Higher & Technical Education | DTE |
| 402 | Master of Computer Application (2nd Shift) | 3 | YES | PG | Science | Higher & Technical Education | DTE |
| 403 | Bachelor of Ayurveda, Medicine & Surgery | 4.6 | YES | UG | Medical | Medical Education | Ayush |
| 404 | Bachelor of Homoeopathic Medicine & Surgery | 4 | YES | UG | Medical | Medical Education | Ayush |
| 405 | Bachelor of Unani Medicine and Surgery | 4.6 | YES | UG | Medical | Medical Education | Ayush |
| 406 | Bachelor of medicine & Bachelor of Surgery | 4.6 | YES | UG | Medical | Medical Education | DMER |
| 407 | Bachelor of Physiotherapy | 4 | YES | UG | Medical | Medical Education | DMER |
| 408 | Bachelor of Dental Surgery | 4 | YES | UG | Medical | Medical Education | DMER |
| 409 | B.Sc. Nursing | 4 | YES | UG | Medical | Medical Education | DMER |

* To be decided by the concerned administrative departments

# परिशिष्ट-ब

## शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, दिनांक ७ ऑक्टोबर,२०१७ सोबतचे परिशिष्ट

**Annexure B: List of newly added courses that are included under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti scheme for EBC Students**

| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duration (Year) (3) | Whether course Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master of Science (Forestry) | 2 | NO | PG | Agriculture | Agriculture | * |
| 2 | Master of Science (Agriculture) and Master Of Science(Garden Education) | 2 | NO | PG | Agriculture | Agriculture | * |
| 3 | Bachelor of Science (Forestry) | 4 | NO | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 4 | Agriculture Education | 3 | No | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 5 | Agriculture Technical Diploma | 3 | YES | Diploma | Agriculture | Agriculture | * |
| 6 | Diploma in Engineering (Agricultural) | 3 | Yes | Diploma | Agriculture | Agriculture | * |
| 7 | Agriculture Technical Diploma | 3 | YES | Diploma | Agriculture | Agriculture | * |
| 8 | Master of Science (Agri. Bio-Technology) | 2 | YES | PG | Agriculture | Agriculture | * |
| 9 | Master of Science (Forest Science) | 2 | YES | PG | Agriculture | Agriculture | * |
| 10 | Master of Science (Agriculture Engineering) | 2 | Yes | PG | Agriculture | Agriculture | * |
| 11 | Bachelor of Technology, (Agriculture) | 4 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 12 | Bachelor of Science (Agriculture) and Bachelor of Science (Garden Education) | 4 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 13 | Bachelor of Science (Forest Science) | 4 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 14 | Bachelor of Technology (Agricultural Engineering and Technology) | 4 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 15 | Agriculture Engineering | 4 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 16 | Bachelor of Science (Gardening) | 4 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 17 | Bachelor of Technology (Agricultural Engineering) | 4 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 18 | Bachelor of Science (Agriculture Engineering) | 3 | Yes | UG | Agriculture | Agriculture | * |
| 19 | Krushi Vidnyan Padvika | 2 | YES | UG | Agriculture | Agriculture | |

| Annexure B: List of newly added courses that are included under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti scheme for EBC Students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duration (Year) (3)** | **Whether course Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 20 | Master of Science Dairy Science | 2 | NO | PG | Animal Husbandry | Animal Husbandry | * |
| 21 | Diploma in Dairy Science | 2 | YES | Diploma | Animal Husbandry | Animal Husbandry | * |
| 22 | (Diploma in Fisheries) Mastya Abhiyabtriki Padvika | 3 | YES | Diploma | Fisheries | Animal Husbandry | * |
| 23 | Master of Science (Fisheries) | 2 | YES | PG | Fisheries | Animal Husbandry | * |
| 24 | M.A/ M.Sc in DISASTER MANAGEMENT (DM) | 2 | No | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 25 | Master of Science in climate change & sustainability studies | 2 | No | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 26 | Post Graduate Diploma in Medical Jurisprudence | 1 | NO | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 27 | Master of Arts (Vedang Jyotish) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 28 | Master of Arts (Computational Linguistics) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 29 | Master of Arts Dalit & Tribal Studies | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 30 | Master of Arts dramatics and Film Studies | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 31 | Master of Arts Hindi (Translation Technology) | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 32 | Master of Arts in media and cultural studies | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 33 | Master of Arts in social Entrepreneurship | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 34 | Master of Arts in social work in lively hood & Entrepreneurship | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 35 | Master of Arts in social work in mental health | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 36 | Master of Arts in social work in public health | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 37 | Master of Arts in social work in women centered practice | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 38 | Bachelor of Fine Arts Sculpture | 3 | NO | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 39 | Bachelor of Performing Arts | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 40 | Bachelor of Fine Arts | 4 | NO | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 41 | Bachelor of Fine Arts in Craft | 3 | NO | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure B: List of newly added courses that are included under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti scheme for EBC Students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duration (Year) (3)** | **Whether course Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 42 | Bachelor of Fine Arts Painting | 3 | NO | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 43 | Bachelor of Commerce (F.M.) | 3 | NO | UG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 44 | Bachelor of Arts (Geology) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 45 | Bachelor of Science with P.C.M./B.Z. | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 46 | Bachelor of Science (Aeronautics) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 47 | Bachelor of Science (Microbiology) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 48 | Bachelor of Science Applied Biotechnology | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 49 | Bachelor of Science Communication & Science | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 50 | Bachelor of Science Physics | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 51 | Bachelor of Visual Arts | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 52 | Bachelor of Arts (Vocational) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 53 | Bachelor of Arts Social Science | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 54 | Bachelor of Commerce Vocational | 3 | NO | UG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 55 | Bachelor of Commerce Vocational Ancillary Advertising, Tourism & Travel | 3 | NO | UG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 56 | Bachelor of Home .Science (F.S.N. Textile & Clothing) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 57 | Bachelor of Science Home Science (Composite H.Sc.FSN) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 58 | Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 59 | Bachelor of Commerce Banking | 3 | NO | UG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 60 | Bachelor of Science Food Technology | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 61 | Bachelor of Science (Biology) | 3 | No | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 62 | Bachelor of Science (Mathematics) | 3 | No | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 63 | Bachelor of Arts (Home Economics) | 3 | No | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 64 | Bachelor of Science (CBZ) | 3 | No | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 65 | Bachelor of Arts (Sanskrit) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 66 | Bachelor of Science Facility Service | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 67 | Bachelor of Science (Business Information Systems) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 68 | Bachelor of Science (Industrial Science) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |

**Annexure B: List of newly added courses that are included under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti scheme for EBC Students**

| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duration (Year) (3) | Whether course Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Bachelor of Science (Nautical Sci.)2010 pattern | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 70 | Diploma in Library Science | 1 | YES | Diploma | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 71 | Diploma in Library and information science | 1 | YES | Diploma | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 72 | Diploma in Education | 2 | YES | Diploma | B.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 73 | Master of Fine Arts | 2 | YES | PG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 74 | Master of Science (Food Technology) | 2 | YES | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 75 | Post Graduate Diploma Course in Cinematography | 3 | YES | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 76 | Post Graduate Diploma Course in Film Editing | 3 | YES | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 77 | Post Graduate Diploma Course in Sound Recording & Sound Design. | 3 | YES | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 78 | Post Graduate Diploma in Law, Medical Jurisprudence | 1 | YES | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 79 | B.F.A. In Applied Arts | 3 | YES | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 80 | B.F.A. In Drawing & Painting | 3 | YES | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 81 | B.F.A. In Textiles Designer | 3 | YES | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 82 | Bachelor of Law General | 3 | YES | UG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 83 | Bachelor of Social Legispecial | 3 | YES | UG | Social | Higher & Technical Education | DHE |
| 84 | B.S.L. | 5 | YES | UG | Law | Higher & Technical Education | DHE |
| 85 | Bachelor of Education (Urdu Medium) | 1 | YES | UG | B.Ed | Higher & Technical Education | DHE |
| 86 | Bachelor of Arts in Education | 3 | YES | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 87 | ART Teacher Diploma | 2 | YES | Diploma | Arts | Higher & Technical Education | DOA |
| 88 | Master of Fine Arts Applied Art | 2 | YES | PG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DOA |
| 89 | Bachelor of Fine Arts in Drawing & Painting | 4 | Yes | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DOA |
| 90 | Bachelor of Fine Arts in Applied Arts | 4 | Yes | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DOA |
| 91 | Bachelor of Fine Arts in Sculpture & Modelling | 4 | Yes | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DOA |
| 92 | Bachelor of Fine Arts in Interior Decoration | 4 | Yes | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DOA |
| 93 | Bachelor of Fine Arts in Ceramics | 4 | Yes | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DOA |
| 94 | Bachelor of Fine Arts in Textile Design | 4 | Yes | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DOA |
| 95 | Bachelor of Fine Arts in Metal Work | 4 | Yes | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DOA |
| 96 | Diploma in Engineering (Plastic Technology) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |

| Annexure B: List of newly added courses that are included under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti scheme for EBC Students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duration (Year) (3)** | **Whether course Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 97 | Diploma in Engineering (Electronics and Video) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 98 | Diploma in Engineering (Man Made Textile Technology) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 99 | Diploma in Engineering (Electrical and Electronics) (Power System) | 3 | Yes | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 100 | Diploma in Plastics Mould Technology (DPMT) | 3 | YES | Diploma | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 101 | Diploma in Hotel & Tourism Management | 3 | Yes | Diploma | Management | Higher & Technical Education | DTE |
| 102 | Advance Diploma in Hotel & Tourism Management | 3 | Yes | Diploma | Management | Higher & Technical Education | DTE |
| 103 | Master of Pharmacy (Pharmaceuticals) | 2 | YES | PG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 104 | Master of Pharmacy Pharamaceuticals Chemistry | 2 | YES | PG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 105 | Master of Pharmacy Quality Assurance | 2 | YES | PG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 106 | Master of Pharmacy (Technical Campus) | 2 | YES | PG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 107 | Master of Pharmacy | 2 | YES | PG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 108 | Master of Pharmacy in Pharmaceutics | 2 | YES | PG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 109 | Master of Pharmacy in Quality Assurance | 2 | YES | PG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 110 | Master of Pharmaceutical Chemistry | 2 | YES | PG | Science | Higher & Technical Education | DTE |
| 111 | Master of Pharmacology | 2 | YES | PG | Science | Higher & Technical Education | DTE |
| 112 | Master of Pharmacy in Pharmacognosy | 2 | YES | PG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 113 | Master of Pharmacy in Pharmaceutical Chemistry | 2 | YES | PG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 114 | Master of Pharmacy in Pharmaceutics | 2 | YES | PG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 115 | Post Graduate Diploma in Business Management | 2 | YES | PG | Management | Higher & Technical Education | DTE |
| 116 | Master of Pharmacy in Industrial Chemistry | 2 | YES | PG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 117 | Master of Pharmacy in Industrial Pharmacy | 2 | YES | PG | Pharmacy | Higher & Technical Education | DTE |
| 118 | Bachelor of Engineering in Bioinformatics | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 119 | Bachelor of Engineering Industrial electrical Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 120 | Architecture and Design Studies | 4 | YES | UG | Architecture | Higher & Technical Education | DTE |

| Annexure B: List of newly added courses that are included under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti scheme for EBC Students | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duration (Year) (3)** | **Whether course Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 121 | Marine Engineering | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 122 | Bachelor of Technology (Chemical) (Food, Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemical Technology) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 123 | Bachelor of Technology (Cosmetics) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 124 | Bachelor of Technology Civil (Water Management) | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 125 | Bachelor of Technology (B.Tech.) in Pharmaceutical Sciences & Technology | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 126 | Bachelor of Engineering (Metallurgical & Materials) | 4 | Yes | UG | Engineering | Higher & Technical Education | DTE |
| 127 | Bachelor of Engineering and Technology | 4 | YES | UG | Engineering | Higher & Technical | DTE |
| 128 | Bachelor of Hotel Management Travel & Tourism | 3 | YES | UG | Management | Higher & Technical Education | DTE |
| 129 | Master of Science Micro Zoology | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | * |
| 130 | M.Sc. Nursing | 2 | Yes | PG | Medical | Medical Education | * |
| 131 | P.B. B.Sc. Nursing | 3 | Yes | UG | Medical | Medical Education | * |
| 132 | 11th Arts | 1 | NO | H.S.C | Arts | School Education | * |
| 133 | 11th Commerce | 1 | NO | H.S.C | Commerce | School Education | * |
| 134 | 11th Science | 1 | NO | H.S.C | Science | School Education | * |
| 135 | 12th Arts | 1 | NO | H.S.C | Arts | School Education | * |
| 136 | 12th Commerce | 1 | NO | H.S.C | Commerce | School Education | * |
| 137 | 12th Science | 1 | NO | H.S.C | Science | School Education | * |
| 138 | D.T. Ed in English | 2 | YES | Diploma | Arts | School Education | * |
| 139 | D.T. Ed in Gujrathi | 2 | YES | Diploma | Arts | School Education | * |
| 140 | D.T. Ed in Hindi | 2 | YES | Diploma | Arts | School Education | * |
| 141 | D.T. Ed in Kannad | 2 | YES | Diploma | Arts | School Education | * |
| 142 | D.T. Ed in Marathi | 2 | YES | Diploma | Arts | School Education | * |

**Annexure B: List of newly added courses that are included under Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti scheme for EBC Students**

| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duration (Year) (3) | Whether course Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | D.T. Ed in Urdu | 2 | YES | Diploma | Arts | School Education | * |
| 144 | Diploma Education Special Education (M.R) | 2 | YES | Diploma | Arts | School Education | * |
| 145 | Diploma in Special Education (Hearing Impaired) | 2 | YES | Diploma | Arts | School Education | * |
| 146 | 11th H.S.V.C | 1 | NO | H.S.C | Vocational | Skill Development | * |
| 147 | 12th H.S.V.C | 1 | NO | H.S.C | Vocational | Skill Development | * |
| 148 | 11th MCVC | 1 | NO | H.S.C | Vocational | Skill Development | * |
| 149 | 12th MCVC | 1 | NO | H.S.C | Vocational | Skill Development | * |

*To be decided by the concerned administrative departments

# परिशिष्ट-क

## शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, दिनांक ७ ऑक्टोबर,२०१७ सोबतचे परिशिष्ट

| Annexure C: List of courses mentioned in Reference No. 6, G.R. dated 21/08/2017 and presently not operational in Universities | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duration (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 1 | Master of Science in Bhugarbh Shastra | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 2 | Master of Science in Nutrition & Health Communication | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 3 | Master of Science (A & P) | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 4 | Master of Science Non Vocational Energy Source | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 5 | Master of Science Photonics | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 6 | Master of Science (Industrial Engineering)2011 pattern | 2 | NO | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 7 | Master of Science in urban policy & Governance | 2 | No | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 8 | Master of Science in water policy & Governance | 2 | No | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 9 | Master of Science in regularity Governance | 2 | No | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 10 | Master of Science in DISASTER MANAGEMENT (DM) | 2 | No | PG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 11 | Master of Arts in Logic | 2 | NO | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 12 | Master of Arts in social work in criminology & justice | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 13 | L.L.M. in Access to Justice | 2 | No | PG | Law | Higher & Technical Education | DHE |

**Annexure C: List of courses mentioned in Reference No. 6, G.R. dated 21/08/2017 and presently not operational in Universities**

| Sr.No. (1) | Course Name (2) | Duration (Year) (3) | Whether course is Professional? (YES/NO) (4) | Level of Course (5) | Discipline (6) | Concerned Department (7) | Concerned Directorate (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Master of Arts in social work in children & family | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 15 | Master of Arts in social work in community organization & Development practice | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 16 | Master of Arts in social work in Dalit & tribal studies & action | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 17 | Master of Arts in Applied Physiologyspecialization in clinical physiology | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 18 | Master of Arts in Disability studies and action | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 19 | Master of Arts in Education Elementary | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 20 | Master of Arts in Globalization and Labour | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 21 | Master of Arts in Habitat policy and practice | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 22 | Master of Arts in Human Resources Management and Labour Relation | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 23 | Master of Arts in DISASTER MANAGEMENT (DM) | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 24 | Master of Arts in management in policy analysis and Entrepreneurship in & mental health | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 25 | Master of Arts in regularity Governance | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 26 | Master of Arts in climate change & sustainability studies | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 27 | Master of Arts in water policy & Governance | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure C: List of courses mentioned in Reference No. 6, G.R. dated 21/08/2017 and presently not operational in Universities | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duration (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 28 | Master of Arts in urban policy & Governance | 2 | No | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 29 | Bachelor of Fine Arts Bridge Course | 3 | NO | UG | Fine Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 30 | B.A (Fine Art) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 31 | Bachelor of Arts Maths | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 32 | Bachelor of Science in (Artificial Informatics In Mobile Communication) | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 33 | Bachelor of Science Manufacturing | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 34 | Bachelor of Arts (Kirtanshastra) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 35 | Bachelor of Arts (Prashasakiya Seva) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 36 | Bachelor of Arts (Vedang Jyotish) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 37 | B.A.Lalit Kala and Natya Tantra Shikshan | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 38 | Bachelor of Commerce (Language Arabic & Persian) | 3 | NO | UG | Commerce | Higher & Technical Education | DHE |
| 39 | Bachelor of Science Vocational Biotechnology | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 40 | Bachelor of Science Vocational Electronic Equipment Maintenance | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |
| 41 | Bachelor of Science Vocational Still, Photography & Audio Visual | 3 | NO | UG | Science | Higher & Technical Education | DHE |

| Annexure C: List of courses mentioned in Reference No. 6, G.R. dated 21/08/2017 and presently not operational in Universities | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr.No. (1)** | **Course Name (2)** | **Duration (Year) (3)** | **Whether course is Professional? (YES/NO) (4)** | **Level of Course (5)** | **Discipline (6)** | **Concerned Department (7)** | **Concerned Directorate (8)** |
| 42 | Bachelor of Arts (Police Administration) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 43 | Bachelor of Arts (Road Transportation) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 44 | Bachelor of Arts (Public Services) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 45 | Bachelor of Arts (Service Administration) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 46 | Bachelor of Arts (Textile) | 3 | NO | UG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |
| 47 | Post Graduate Diploma Course in Acting | 2 | YES | PG | Arts | Higher & Technical Education | DHE |